

# लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक अक्टूबर 27, 1988

की

कार्य-सूची



# लखनऊ विकास प्राधिकरणा

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7 अक्टूबर,  
1988 में विचारणीय विषयों की कार्यसूची,  
= = = = =

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 अप्रैल 1988 के कार्यवृत्त का पृष्ठिकरण।	1
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7 जुलाई, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	10
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित प्रगति आख्या।	23
4-	लखनऊ महायोजना के संबंध में।	24
5-	नीबू बाग व्यवसायिक केन्द्र में नीलाम किये गयेब्लाक्स के संबंध में।	25
6-	20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत ई0 डब्लू0 एस0/साइट एण्ड सर्विसेज एवं एम0 आई0 जी0 भवनों के निर्माण सम्बंधी प्रस्ताव।	26
7-	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "डी" में राज्य सम्पत्ति विभाग के लिये भवनों का निर्माण।	28
8-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ई0 डब्लू0 एस0/साइट एण्ड सर्विसेज व एम0 आई0 जी0 भवनों के चार्ज 10 प्रतिशत के स्थान पर 5% प्रतिशत करने के संबंध में।	29
9-	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र हेतु प्रस्तावित निर्माण स्थल का भू-उपयोग कृषि से संस्थान हेतु परिवर्तित करने के संबंध में।	30
10-	भूखण्ड संख्या 424 टी0 जी0 न्यू0 सिविल लाइन पर बहुखण्डीय भवन को स्वीकृति के संबंध में।	31,
11-	मेसर्स मोटर सेल्स लि0, 11 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ द्वारा अपने वर्तमान भवन में परिवर्तन हेतु दिये गये मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में।	34,
12-	बारूद खाना में बद्दीनाथ रोड स्थित श्री सुनीत माथुर को आवंटित नजूल भूमि संख्या 69 का भू-उपयोग परिवर्तन।	36

- \*3- केन्द्रीय संस्कृत विद्या पीठ को आवन्तित भूमि का टोकैन लीज रेण्ट लिये जाने के संबंध में। 37
- 14- गोमती नगर योजनान्तरगत मेसर्स इन्डियन होटल्स लि० १ताज ग्रुप१ को होटल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के संबंध में। 38
- 15- भूखण्ड संख्या "वी"/973, सी० महानगर योजना के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में। 39
- 16- अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की अर्जित भूमि के संबंध में। 40
- 17- लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ पूर्वानुमोदित एवं लम्बित योजना का विवरण। 42
- 18- लखनऊ में निर्मर्षणाधीन अतिथि गृह निर्माण की स्वीकृति के संबंध में। 51
- 19- रायवरेली रोड पर यूनीटेक को भूमि दिये जाने के संबंध में। 52
- 20- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।

विषय संख्या: -1

पृष्ठ संख्या: 1

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण  
की बैठक दिनांक 9, अप्रैल,  
1988 के कार्यवृत्त का  
पुष्टिकरण ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक  
दिनांक 7 जुलाई, 1988 का कार्यवृत्त  
पुष्टिकरण हेतु सँलग्न किया जा रहा है।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
 = = = = =  
 7 जुलाई, 1988 का कार्यवृत्त  
 = = = = =

उपस्थिति:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. श्री बृजेश कुमार          | अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण,<br>एवं आयुक्त, लखानऊ मण्डल, लखानऊ । |
| 2. श्री शौलेश कृष्ण          | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण<br>एवं प्रशासक, नगर महापालिका ।    |
| 3. श्री शॉकर अशवाल           | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>आवास एवं नगर विकास विभाग ।      |
| 4. श्री सुरेश चन्द्र दिक्षित | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>वित्त विभाग ।                   |
| 5. श्री जे० पी० भार्गव       | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,<br>उत्तर प्रदेश ।                       |
| 6. श्री आशुतोष त्रिपाठी      | अधीक्षक अभियन्ता,<br>उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखानऊ ।                   |

अन्य उपस्थिति:

श्री दिवाकर त्रिपाठी सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।

विशेष आमन्त्री:

श्री राम नगीना सिंह

x x x x x

- विषय संख्या: 1 लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
9 अप्रैल, 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।
- निर्णय : लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
9 अप्रैल, 1988 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
- विषय संख्या: 2 लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
9 अप्रैल, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन  
आख्या ।
- निर्णय : लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
9-4-88 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या  
का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश  
दिये गये :-
1. नगर विकास की मुख्य दिशा निश्चित करने  
के लिये दीर्घकालीन प्लान तैयार करके रखा जाये ।

कृपया:-----

2. गोमती नगर योजना में प्रस्तावित इन्द्रा मेमोरियल के पुराने डिज़ाइन अच्छे नहीं हैं। अतः दुबारा कम्पटीशन कराकर डिज़ाइन का चयन किया जाये। चयन समिति में श्री उत्तम जैन, रीजेन्ट चैम्बर, नारीमन-प्वाइन्ट, बम्बई को भी नामित किया जाये। श्री भार्गव, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक तथा अन्य माननीय सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया कि ऐसे प्रेसटीजियस मेमोरियल के लिये ऐसे आर्किटेक्ट जिन्हें द्वितीय श्रेणी के लिये ही उपयुक्त पाया गया, उसको इस प्रोजेक्ट के लिये नियुक्त करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। अतः उपरोक्त मंतव्य के साथ शासन को शीघ्र निर्णय हेतु पत्र भेजा जाये। यह भी निर्णय हुआ कि शासन को यह भी लिखा दें कि समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव से करने का निवेदन कर लिया जावे।
3. संयुक्त सचिव वित्त ने बताया कि राजस्व-विभाग ने वित्त विभाग को सूचित किया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा काश्तकारों को ₹ 50.00 करोड़ भुगतान करना है, इसे रेज़ु एरियर आफ लैन्ड रेवन्यु वसूला जाये। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने भी शासन को लिखा है कि जबतक 50.00 करोड़ स्मया बकाया का भुगतान न हो जाये तबतक अर्जन की कार्यवाही न की जाये। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ₹ 50.00 करोड़ शार्ट टर्म लोन ₹ पाँच वर्षों में भुगतान के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

विषय संख्या: 3

निर्णय :

बीस सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रगति आख्या। प्रगति का अवलोकन किया गया और निर्देश दिया गया कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के लिये भावनों का निर्माण बन्द करके साइट ऐण्ड सविसेज़ के भूखण्ड विकसित किये जायें। इसके लिये मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण मन्थली टारगेट दशायें और पूर्ति सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में "ए" कैटागिरी से नीचे उपलब्ध न रहे।

क्रमशः-----

- विषय संख्या: 4 भूखण्ड संख्या: 424 टी0जी0न्यु सिविल लाइन्स पर बहुखण्डीय आवासीय भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्रुप-हाउसिंग की सामान्य नीतियों और प्रस्तावित बििल्डिंग पालिसी के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया जाये तथा प्रस्तावित हाउसिंग योजनाओं के पददेदार व्दारा अर्जित लाभ से कितना अंश प्राधिकरण को बहु आवासीय यूनिट निर्माण हेतु अनुमति देने के स्वज़ में लेना चाहिये, इसका भी परीक्षण कर लिया जाये ।
- विषय संख्या: 5 डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा, संचालक {अर्जन} का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डा0 ज्ञानेन्द्र-वर्मा की संचालक {अर्जन} के पद पर एक वर्ष और कार्यरत रहने की स्वीकृति वर्तमान शर्तों पर प्रदान की जाती है ।
- विषय संख्या: 6 लखानऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं हेतु हस्तान्तरित नज़ूल भूमि के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार लैन्ड एक्जुज़ीशन ऐक्ट में काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण करते समय मुआवज़ा देते समय मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी प्रकार विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करते समय नज़ूल भूमि का बाज़ार मूल्य निर्धारित किया जाये ।
- विषय संख्या: 7 प्राधिकरण की योजनाओं हेतु एक बुलडोज़र क्रय के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्देश दिया गया कि यथोचित विश्लेषण {प्रापर इनालिसिस} पूर्ण रूप से उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जाना सम्भाव हो सकेगा ।
- विषय संख्या: 8 श्री एस0 मज़ूमदार, विव्द्युत सलाहकार की कार्य अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री एस0 मज़ूमदार, को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की दिनांक 23 जुलाई, 1988 से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रस्तावित शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

- विषय संख्या: 9 उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत नियम उपविधियों में संशोधन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित प्रतिबन्धों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि इन उपनियमों को शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में इस हद तक लागू किया जाये जिस हद तक वर्तमान नियमों का शास-वायलेषान § Gross Violation § न हो ।
- विषय संख्या: 10 श्रीमद् दयानन्द बाल सदन को लीज की गई भूमि में लीज की शर्तों में शिथिलता के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि वर्किंग वीमेन्स हास्टल की प्रबन्ध समिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण का कोई उच्च स्तरीय अधिकारी भी नामित होगा ।
- विषय संख्या: 11 इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट को आवन्टित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विषय संख्या: 12 श्री के०एल०शुक्ला को विद्यमान आवासीय प्रयोग के विस्तार एवं परिवर्धन की अनुमति के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव स्थागित किया गया ।
- विषय संख्या: 13 सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" एफ के निकट 213 ई०डब्लू०एन०, 23 एम०आई०जी० तथा 16 एच०आई०जी० भावनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

- विषय संख्या: 14 तकनीकी शिक्षा संस्थान को आवंटित भूमि पर टोकन लीज़रेंट लिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विद्यालय अलीगंज की भांति ही तकनीकी शिक्षा संस्थान से भी टोकन लीज़रेंट लिया जाये ।
- विषय संख्या: 15 प्रभारी अधिकारी § भवन § छाण्ड को शमन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन ।
- निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि जहाँ कोई डिस्ट्रीशन नहीं है बल्कि फारमूला के अनुसार शमन होना हो वहाँ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अधीन अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग प्रभारी अधिकारी § भवन-1, 2, 3 § कर सकते हैं, शेष मामलों में उक्त अधिकार एवं शक्तियों का उपयोग करने हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राधिकृत किया जाता है ।
- विषय संख्या: 16 मेसर्स मोटर सेल्स लि०, 11- महात्मागांधी मार्ग, लखनऊ द्वारा अपने वर्तमान भवन में परिवर्तन हेतु दिये गये मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि आख्या स्पष्ट नहीं है । जो गाइड लाइन्स बिल्ट अप शरिया के लिये निर्धारित की गई थीं उनके अनुसार परीक्षा करके आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
- विषय संख्या: 17 अभियन्त्रण कार्य एवं सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित सूचनार्थ ।
- निर्णय : प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया ।
- विषय संख्या: 18 अर्जन विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं को अर्जन कार्य हेतु विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि विशेष वेतन के स्थान पर अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को पुरस्कार प्रदान करना चाहें तो प्रस्ताव लाया जाये ।

- विषय संख्या: 19  
निर्णय :  
गाजियुद्दीन हैदर कैनाल के बन्धा तथा प्राणि उद्दयान हेतु भूमि का अर्जन ।  
विचार विमर्श के पश्चात् इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि शासन मुआवजे की धनराशि उपलब्ध करायेगा ।
- विषय संख्या: 20  
निर्णय :  
नवीन अलीगंज आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन ।  
विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि उक्त योजना केवल ग्रुप-हाउसिंग हेतु प्रयुक्त की जायेगी ।
- विषय संख्या: 21  
निर्णय :  
इन्डस्ट्रियल एरिया शेषावाग लखानऊ के भूखण्ड संख्या: 151 को मोतीझील आवास योजना में सम्मिलित रखाने या पृथक करने पर विचार ।  
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री जुगल किशोर के भूखण्ड संख्या: 151, इन्डस्ट्रियल एरिया, शेषावाग लखानऊ को अर्जन प्रस्ताव से पृथक कर दिया जाये ।
- विषय संख्या: 22  
निर्णय :  
विधान सभा मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना ।  
विचार विमर्श के पश्चात् निर्देश दिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
- विषय संख्या: 23  
निर्णय :  
अर्जन विभाग की लम्बित योजनाओं के सम्बन्ध में आख्या ।  
समयाभाव के कारण प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।
- विषय संख्या: 24  
निर्णय :  
तीतापुर रोड योजना के सेक्टर "जी" के सामने ग्राम सिफन्दरपुर इनायत अली में 106 ई0डब्लू0एस्10 भावनों का निर्माण ।  
विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या: 25

आवासीय क्षेत्र में होटल बनाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश से स्थल निरीक्षण कराकर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या: 26

गोमती नगर योजना में मे० इन्डियन होटल लि०, नई दिल्ली § ताज ग्रुप § को होटल निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा अनुबन्ध की शर्तों में निम्नांकित संशोधन प्रस्तावित किये गये :-

§ 1 § रेगुलेशन के क्लॉज़ § डी § में निम्नवत् अंकित किया जाये :

The licensee may construct temporary wooden sheltors, the purpose and design of which will be approved by Lucknow Development Authority.

- (2) The land will be allotted on token license fee of Rs. 10,001/- per year.
- (3) The period of license will initially be for 30 years. Before expiry of 30 years the license will be renewable for further 30 years on agreeable terms and conditions.

क्रमशः:-----

- विषय संख्या: 27 अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल लि० कम्पनी की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थ आख्या ।
- निर्णय : समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थागित किया गया ।
- विषय संख्या: 28 रायबरेली रोड योजना में प्राइवेट विल्डर्स को आवन्तित भूमि की दर के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव इस कारण से अस्वीकृत किया गया कि चूँकि भूमि की लागत और वाह्य विकास शुल्क के रूप में ₹ 100/- प्रति वर्ग मीटर की सम्मिलित दर घोषित करते हुए विल्डर्स से आफर माँगने के बाद इस दर के आफर पर दो विल्डर्स को चयन किया गया एवं शोषा रद्द कर दिये गये । इसके बाद अब दर में कितनी भी कारण से कमी करना उचित नहीं है ।
- विषय संख्या: 29 प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के मैरीटोरियस बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि केवल अकेन्द्रित वर्ग तीन व चार के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों पर लागू होगी ।
- विशेष प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 से 3 फरवरी, 1988 तक हुई समस्त बैठकों में लिये गये निर्णयों की प्रस्तुत अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :-
- § 1§ जिन निर्णयों के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है उनकी संज्ञा सूची शासन को भेज दी जाये तथा निस्तारण हेतु पैरवी की जाये ।
- § 2§ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-12-86 के प्रस्ताव संख्या: 24 के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि डिटेल्ड वर्किंग, अध्यक्ष महोदय को दिखा दिया जाये तथा प्रस्ताव संख्या: 25 का अनुपालन पूरा किया जाये और प्रस्ताव संख्या: 34 के सम्बन्ध में पवलीसिटी कर दी जाये ।
- § 3§ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-9-87 के विशेष प्रस्ताव संख्या: 4 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अनधिकृत कृषकों के विरुद्ध कार्यवाही हो ।

§4§ जिन निर्णयों के अनुपालन में अब कार्यवाही न किया जाना हो उनको दुबारा बोर्ड के समक्ष रखा जाये ।

§5§ उपसमितियों द्वारा जो भी निरीक्षण किये गये हों उनकी आख्या बोर्ड के समक्ष रखी जानी चाहिये ।

§6§ भाविष्य में महाप्रबन्धक जल संस्थान को भी बैठकों में बुला लिया जाया करे ।

§7§ बोर्ड के पूर्व निर्णयों जिनका अनुपालन न हो पाया हो अथावा जिनके शतत अनुपालन की आवश्यकता हो, अनुपालन पूर्ण होने तक बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया जाया करे ।

ह0/-  
§ श्रीमती कृष्णा §  
उपाध्यक्ष

ह0/-  
§ दिवाकर त्रिपाठी §  
सचिव

अ नु मो दि त

ह0/-  
§ वृजेश कुमार §  
आयुक्त लखानऊ मण्डल एवं  
अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण  
ल ख न ऊ ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7 जुलाई, 1988  
में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

विषय संख्या	एवं विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन आख्या
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	विचार विमर्श के पश्चात् विकास प्राधि- की बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 1988 के कार्य -वृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
2१११	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या	नगर विकास की मुख्य दिशा निर्दिष्ट करने हेतु दीर्घकालीन प्लान तैयार करके रखा जाये	लखनऊ नगर के महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, 30 प्र० द्वारा तैयार किया जा रहा है नवीन महायोजना में विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का दिशा निर्धारण किया जाना है। अतः नगर के विकास दीर्घकालीन योजना बनाना तभी संभव होगा जब कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक 30 प्र० द्वारा लखनऊ महानगर की महायोजना तैयार हो जायगी।
2१२१		गोमती नगर योजना में प्रस्तावित इन्द्रा मेमोरियल के पुराने डिजाइन अच्छे नहीं है। अतः दुबारा कम्पटीशन कराकर डिजाइन का चयन किया जाये। चयन समिति में श्री उत्तम जैन, रीजेन्ट चैम्बर, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई को	इन्द्रा मेमोरियल की डीजाइन के संबंध में शासनादेशानुसार योजना की स्म रेखा तथा अन्य विषय दिनांक 9.8.88 को शासन को भेजे जा चुके हैं जिस पर शासन की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ होना प्रस्तावित है।

भी नामित किया जाये। श्री भार्गव, मुख्या  
ग्राम एवं नगर नियोजक तथा अन्य माननीय  
सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया कि ऐसे  
प्रैसटीजियस मेमोरियल के लिये ऐसे आर्किटेक्ट  
जिन्हें द्वितीय श्रेणी के लिये ही उपयुक्त पाया  
गया, उसको इस प्रोजेक्ट के लिये नियुक्त करने  
हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण उत्तर-दायित्व  
नहीं लेना चाहता। अतः उपरोक्त मंतव्य के  
साथ शासन को शीघ्र निर्णय हेतु पत्र भेजा जाये।  
यह भी निर्णय हुआ कि शासन को यह भी लिख  
दे कि समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव से  
करने का निवेदन कर लिया जावे।

2१३१ उपरोक्त

सूचना सचिव १ वित्त १ ने बताया कि राजस्व-  
विभाग ने वित्त विभाग को सूचित किया है  
कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा काश्तकारों  
को ₹ 50.00 करोड़ भुगतान भुगतान करना है  
एसे ऐज एरियर आफ लैन्ड रेवन्यु वसूला जाये।  
इसके अजिरिक्त कलेक्टर ने भी शासन को रूपया  
बकाया का भुगतान न हो जाये तबतक अर्जन की  
कार्यवाही न की जाये। विचारोपरान्त निर्णय  
लिया गया कि ₹ 50.00 करोड़ शार्ट टर्म लोन  
१ पाँच वर्ष में भुगतान १ के लिये शासन को  
प्रस्ताव भेजा जाये।

निर्णयानुसार शासन को ₹ 50.00 करोड़  
के ऋण की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र संख्या  
245/सी. ए. ओ. दिनांक 3.8.88 द्वारा  
प्रेषित किया जा चुका है।

1	2	3	4
<p>§3§ बीस सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रगति आख्या</p>	<p>प्रगति का अवलोकन किया गया और निर्देश दिया गया कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के लिये भवनों का निर्माण बन्द करके साइड रेण्ड सर्विसेज के भूखण्ड विकसित किये जायें। इसके लिये मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण मन्थली टारगेट दशतिये और पूर्ति सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में "ए" केटागिरी से नीचे उपलब्धि न रहे।</p>	<p>निर्णय नोट किया गया। "ए" केटागिरी से नीचे उपलब्धि न रहे इसका भरसक प्रयास किया जा रहा है।</p>	
<p>§4§ भूखण्ड संख्या:424 टी0जी0 न्यु सिविल लाइन्स पर बहुखण्डीय आवासीय भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।</p>	<p>विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्रुप-हाउसिंग की सामान्य नीतियों और प्रस्तावित बिल्डिंग पालिसी के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया जाये तथा प्रस्तावित हाउसिंग योजनाओं के पट्टेदार द्वारा अर्जित लाभ से कितना अंश प्राधिकरण को बहु आवासीय यूनिट निर्माण हेतु अनुमति देने के एवज में लेना चाहिये, इनका भी परीक्षण कर लिया जाये ।</p>	<p>निर्देशानुसार परीक्षण कर विषय प्राधिकरण के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	
<p>§5§ डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा, संचालक §अर्जन§ का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा की संचालक §अर्जन§ के पद पर एक वर्ष और कार्यरत रहने की स्वीकृति वर्तमान शर्तों पर प्रदान की जाती है।</p>	<p>निर्णयानुसार डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा की कार्य की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।</p>	

1	2	3	4
§6§	लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं हेतु हस्तान्तरित नजूल भूमि के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार लैन्ड एक्ज्युजीशन ऐक्ट में काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण करते समय सुआवजा देते समय मूल्य निर्धारण किया जाता है उसी प्रकार विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करते समय नजूल भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
§7§	प्राधिकरण की योजनाओं हेतु एक बुलडोजर फ़ाय के सम्बन्ध में	विचार विमर्श के पश्चात निर्देश दिया गया कि यथोचित विश्लेषण प्राप्त होना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।	विषय प्रापर स्नालेसिस के साथ पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
§8§	श्री एस0 मजूमदार, विद्युत सलाहकार की कार्य अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री एस0 मजूमदार, को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की दिनांक 23 जुलाई, 1988 से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रस्तावित शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।	निर्णयानुसार श्री एस0 मजूमदार को 23 जुलाई, 1988 से एक वर्ष के लिए विद्युत सलाहकार की हैसियत से कार्य हेतु रख लिया गया है।
§9§	उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत नियम उप-विधियों में संशोधन के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श के पश्चात मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित प्रतिबन्धों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इन उपनियमों को शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में इस हद तक लागू किया जाये जिस हद तक वर्तमान नियमों का शासन वायलेषन न हो।	निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

1	2	3	4
10	श्रीमद् दयानन्द बाल सदन को लीज़ की गई भूमि में लीज़ की शर्तों में शिथिलता के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि वर्किंग वीमेन्स हास्टल की प्रबन्ध समिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण का कोई उच्च स्तरीय आधिकारी भी नामित होगा।	निर्णय के अनुसार स्वीकृति सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित संस्था को दी जा चुकी है एवं निर्णयों की शर्तों के अनुसार उपाध्यक्ष, ल०वि० प्र० द्वारा वर्किंग वीमेन्स हास्टल की प्रबन्ध समिति में ल० वि० प्र० की संयुक्त सचिव श्रीमती मन्जु चन्द्रा को नामित किया जा चुका है।
11	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ़ मैनेजमेन्ट को आवंटित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ़ मैनेजमेन्ट को आवंटित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय से अवगत करा दिया गया है।
12	श्री के०एल० शुक्ला को विद्यमान आवासीय प्रयोग के विस्तार एवं परिवर्द्धन की अनुमति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।	उक्त विषय पर आख्या प्राधिकरण के समक्ष पुनः प्रस्तुत की जा रही है।

1	2	3	4
13	<p>सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। "एफ" के निकट 213 ई0डब्लू0एस0, 23 एम0आई0जी0 तथा 16 एच0 आई0जी0 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>	<p>सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए", एफ" के निकट 213 ई0डब्लू0एस0, 23 एम0आई0जी0, 16 एच0आई0जी0 के निर्माण हेतु प्रोजेक्ट हडको को भेजा जा चुका है। शासन से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अभी ऋण उपलब्ध होना शेष है।</p>
14	<p>तकनीकी शिक्षा संस्थान को आवंटित जूमि पर टोकेन 1 लीज़-रेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विद्यालय अलीगंज की भाँति ही तकनीकी शिक्षा संस्थान से भी टोकेन लीज़-रेन्ट लिया जाये।</p>	<p>लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>
15	<p>प्रभारी अधिकारी {भवन} खण्ड को शसन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा - 32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन।</p>	<p>विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि जहाँ कोई डिस्ट्रीशन नहीं है बल्कि फ्लारमूला के अनुसार शसन होना हो वहाँ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-32 के अधीन अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग प्रभारी {भवन -1, 2, 3} कर सकते हैं,</p>	<p>निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।</p>

1	2	3	4
---	---	---	---

शेष मामलों में उक्त अधिकार एवं शक्तियों का उपयोग करने हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राधिकृत किया जाता है।

16

मेसर्स मोटर सेल्स लि०,  
11-महात्मा गांधी मार्ग,  
लखनऊ द्वारा अपने वर्तमान भवन में परिवर्तन हेतु दिये गये मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में।

विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि आख्या स्पष्ट नहीं है। जो गाइड-लाइन्स बिल्ट-अप-शरिया के लिये निर्धारित की गई थी उनके अनुसार परीक्षण करके आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विषय प्राधिकरण के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

17

अभियन्त्रण कार्यों एवं सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित सूचनाएँ।

प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया।

1	2	3	4
18	अर्जन विभाग में कार्यरत् सहायक अभियन्ताओं /अवर अभियन्ताओं को अर्जन कार्य हेतु विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि विशेष वेतन के स्थान पर अच्छाकार्य करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी को पुरस्कार प्रदान करना चाहें तो प्रस्ताव लाया जाये।	—
19	शांजियुद्दीन हैदर के बन्धा तथा प्राणि-उद्यान हेतु भूमि का अर्जन।	विचार विमर्श के पश्चात् इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि शासन मुआवजे की धनराशि उपलब्ध करायेगा।	शासन को धन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है। अभी धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है।
20	स्वीन अलीगंज आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन।	विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि उक्त योजना केवल गुप-हाउसिंग हेतु प्रयुक्त की जायेगी।	शासन को प्रस्ताव नोटिफिकेशन हेतु प्रेषित किया जा चुका है।
21	इन्डस्ट्रियल एरिया एशबाग, लखनऊ के भूखण्ड सं० : 151 को मोतीझील आवास योजना में सम्मिलित रखने या पृथक करने पर विचार।	विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री जुगल किशोर के भूखण्ड सं०: 151, इन्डस्ट्रियल एरिया, एशबाग, लखनऊ को अर्जन प्रस्ताव से पृथक कर दिया जाये।	श्री जुगल किशोर को निर्णय से अवगत कराया जा चुका है।

1	2	3	4
22	विधान सभा मार्ग पर व्यवसायिक-कम-आवासीय योजना।	विचार-विमर्श के पश्चात् निर्देश दिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक को निरीक्षण हेतु समय एवं दिनांक निश्चित करने के लिए पत्र एवं अनुस्मारक भेजा जा चुका है। परन्तु अभी उन्होंने समय नहीं दिया है।
23	अर्जन विभाग की लम्बित योजनाओं के सम्बन्ध में आख्या।	समयाभाव के कारण प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।	पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
24	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "जी" के सामने ग्राम सिकन्दरपुर इनायत अली में 106 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण।	विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया।	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "जी" के सामने ग्राम सिकन्दर पुर इनायत अली में 106 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु बैंक आफ बड़ौदा, अमीनाबाद, लखनऊ को प्रोजेक्ट भेजा जा चुका है। शासन से स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई। ऋण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
25	आवासीय क्षेत्र में होटल बनाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश से स्थल निरीक्षण कराकर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।	निर्णयान्तर विषय प्राधिकरण के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

1	2	3	4
26	<p>गोमती नगर योजना में मे० इन्डियन होटल लि०, नई दिल्ली ॥ ताज ग्रुप ॥ को होटल निर्माण हेतु भूमि दिरे जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा अनुबन्ध की शर्तों में निम्नोक्त संशोधन प्रस्तावित किये गये :---</p>	<p>लिये गये निर्णयानुसार अनुबन्ध की शर्तों में संशोधन कर लिया गया है।</p>
		<p>॥ १ ॥ रेगुलेशन के क्लोज़ ॥ डी ॥ में निम्नवत् अंकित किया जाये :</p>	
		<p>The licensee may construct temporary wooden shelters, the purpose and design of which will be approved by Lucknow Development Authority.</p>	
		<p>(2) The land will be allotted on token license fee of Rs. 10,001/- per year.</p>	
		<p>(3) The period of license will initially be for 30 years. Before expiry of 30 years the license will be renewable for further 30 years on agreeable terms and conditions.</p>	
27	<p>अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल लिमिटेड कम्पनी की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थ जा रखा।</p>	<p>समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।</p>	<p>प्रस्ताव बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>

1	2	3	4
28	<p>रायबरेली रोड योजना में प्राइवेट बिल्डर्स को आवंटित भूमि की दर के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रस्ताव इस कारण से अस्वीकृत किया गया कि चूंकि भूमि की लागत और वाह्य विकास शुल्क के रूप में ₹0 100/- प्रति वर्ग मीटर की सम्मिलित दर घोषित करते हुए बिल्डर्स से आफर मांगने के बाद इस दर के आफर पर दो बिल्डर्स को चयन किया गया एवं शेष रद्द कर दिये गये। इसके बाद अब दर में किसी भी कारण से कमी करना उचित नहीं है।</p>	<p>किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।</p>
29	<p>प्राधिकरण के अधिकारियों / कर्मचारियों के मैरिटेड रिश्तेदारों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि केवल अकेन्द्रित वर्ग तीन व चार के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों पर लागू होगी।</p>	<p>निर्णयानुसार नियम इत्यादि तैयार किये जा रहे हैं।</p>

1	2	3	4
---	---	---	---

विशेष प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 से 3 फरवरी, 1988 तक हुई समस्त बैठकों में लिये गये निर्णयों की प्रस्तुत अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

§ 1 § जिन निर्णयों के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है उनकी संहत सूची शासन को भेज दी जाये तथा निस्तारण हेतु पैरवी की जाये। निर्णयानुसार सूची तैयार कर ली गई है शीघ्र ही प्रेषित कर दी जायेगी।

§ 2 § प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-12-86 के प्रस्ताव संख्या: 24 के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि डिटेल्ड वर्किंग, अध्यक्ष महोदय को दिखा दिया जाये तथा प्रस्ताव संख्या : 25 का अनुपालन पूरा किया जाये और प्रस्ताव संख्या : 34 के सम्बन्ध में पब्लिसिटी कर दी जाये। प्रश्नगत क्षेत्र का जो प्लान तैयार करके विचारोपरान्त शासन को भेज दिया गया था जिस पर शासन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और उती के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

x 1	2	3	4
§ 3§	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.9.87 के विशेष प्रस्ताव संख्या : 4 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अनाधिकृत कब्जों के विरुद्ध कार्यवाही हो।	निधमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	
§ 4§	जिन निर्णयों के अनुपालन में अब कार्यवाही न किया जाना हो उनको दुबारा बोर्ड के समक्ष रखा जाये।	सूचना एकत्र करके आगामी बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायगा।	
§ 5§	उपसमितियों द्वारा जो भी निरीक्षण किये गये हों उनकी आख्या बोर्ड के समक्ष रखी जानी चाहिए।	भविष्य में निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	
§ 6§	भविष्य में महापुबन्धक जल-संस्थान को भी बैठकों में बुला लिया जाया करे।	निर्देशानुसार पत्र भेज दिया गया है।	

विषय संख्या: 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

पृष्ठ संख्या: 23

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र संख्या-15 की प्रगति आख्या माह सितम्बर, 1988

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 1988-89 का लक्ष्य	पिछले माह तक की उपलब्धि	माह की उपलब्धि	क्र.सं.	डिवीजन का अधिकारी का नाम	उपलब्धि माह अगस्त, 1988	संख्या	
1.	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग/साइटएण्ड सर्विसेज ।	4500	496	133	629	खण्ड-2	श्री कृष्ण कान्त	गोमती नगर योजना विराम खण्ड	127
						खण्ड-6	श्री सोहन लाल	राम नगर योजना निगम बाग	40
						खण्ड-6	श्री सोहन लाल	राजेन्द्र नगर योजना	36
						खण्ड-6	श्री सोहनलाल	टिकैत राय आवासीय योजना	26
						खण्ड-9	श्री एसORसद्दीकी	राधाग्राम योजना	37
						खण्ड-9	श्री एसORसद्दीकी	बजीर हसन रोड योजना	76
						खण्ड-9	श्री एसORसद्दीकी	मीर तक्री मीर योजना	42
						खण्ड-9	श्री एसORसद्दीकी	श्वानी आवासीय योजना	110
						खण्ड-11	श्री आरकेOशर्मा	कानपुर रोड योजना	65
						खण्ड-11	श्री आरकेOशर्मा	कानपुर रोड व अन्य योजनायें	70
								629 संख्या	
2.	अल्प आय वर्ग	2000	581	90	671	खण्ड-1	श्री आरOपीOशुक्ला	कानपुर रोड योजना सेO-"स्त"	135
						खण्ड-2	श्री कृष्ण कान्त	गोमती नगर योजना विराम खण्ड	175
						खण्ड-6	श्री सोहन लाल	टिकैत राय आवासीय योजना	223
						खण्ड-11	श्री आरकेOशर्मा	कानपुर रोड योजना	75
						खण्ड-21	श्री आरकेOशर्मा	अन्य मिश्रित योजनायें	63
योग								671 संख्या	

नोट:- अन्य भवनों के लिये निविदा आमंत्रित करि गयी है । प्रगति में तीव्र गति से वृद्धि होने की सम्भावना है।

कुल उपलब्धि 20% है।

विषय संख्या:- 4

पृष्ठ संख्या:- 24

विषय: लखनऊ महायोजना के सम्बन्ध में  
=====

उपरोक्त विषयक महायोजना की पुस्तिका

अलग से प्रस्तुत की जा रही है ।

नीबू बाग व्यवसायिक केन्द्र में नीलाम किये गये ब्लाक्स के सम्बन्ध में

1. नीबू बाग व्यवसायिक केन्द्र ४ चौक ४ में चार ब्लाक्स का नीलाम किया गया था, जिसके सम्बन्ध में नीलाम पर ब्लाक लेने वाली फर्मों/कंपनियों ने कुछ बिन्दुओं पर प्रत्यावेदन दिये थे, जिसके सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3. 2. 88 में विषय संख्या -13 के अन्तर्गत रखा गया था।
2. प्राधिकरण ने विचारोपरान्त एक उप समिति का गठन किया, जिसमें निम्नांकित सदस्य बनाये गयेः
  1. श्री राम नगीना सिंह  
सदस्य,  
विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
  2. उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण
  3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ०प्र०
  4. मुख्य नगर नियोजक,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण
3. इस उप समिति को स्थल का निरीक्षण करके अपनी आख्या प्राधिकरण की बैठक में रखने हेतु निर्देश दिया गया था।
4. श्री राम नगीना सिंह अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं। अतः उनके स्थान पर अन्य अशासकीय सदस्य को उप समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किये जाने के लिए प्राधिकरण, लुपगा निर्णय लेने का कष्ट करें।

विषय संख्या:- 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0/साइट एण्ड सर्विसेज एवं एल0आई0जी0भवनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव ।

वर्ष 1988-89 के लिये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये 4,500 ई0डब्लू0एस0/साइट एण्ड सर्विसेज तथा 2,000 एल0आई0जी0भवनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न क्षेत्रों में निम्न सूची के अनुसार भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है:-

क्र0स0	कार्य स्थल का नाम	ई0डब्लू0एस0	साइट/सर्विसेज	एल0आई0जी0
1.	विनीत खण्ड गौ0न0यो0	602	-	353
2.	विराम खण्ड गौ0न0यो0	100	-	62
3.	सीतापुर रोड योजना परिधि वमी प्रिय दर्शनी	-	-	221
4.	सी0रो0यो0 सेक्टर "एफ" इंजी0कालेज- के पास	200	214	272
5.	जानकी पुरम् योजना सीतापुर रोड	441	250	1053
6.	सीतापुर रोड योजना सेक्टर "सी"	30	-	-
7.	विधिपन खण्ड गौ0न0यो0	-	-	150
8.	संजय नगर योजना	262	-	-
9.	जगत नारायण रोड/राधा ग्राम	-	600	-
10.	कानपुर रोड योजना सेक्टर डी-1	256	-	-
11.	कानपुर रोड योजना सेक्टर "जी"	170	60	62
12.	राय बरेली रोड योजना	200	708	-
13.	रायबरेली रो0यो0 रॉयम खण्ड	250	250	-
14.	अन्य योजना	426	-	-

इन भवनों के निर्माण के लिये हडको से <sup>वैक</sup> ग्रहण लिया जाना प्रस्ता-  
वित है। भवनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

"अ" ई0डब्लू0एस0

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	30,00 वर्ग मी0
2.	प्लान्थ ररिया	13.10 वर्ग मी0
3.	एकमो डेशन	एक कमरा, टाइलेट, फिरेन स्पेश एवं बाउन्डी वाल ।
4.	निर्माण लागत	12,500/= प्रति भवन
5.	विक्रय मूल्य	18,750/= प्रति भवन

"ब" साइट/सर्विसेज:

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	30.00 वर्ग मी0
2.	विक्रय मूल्य	6,000/= प्रति भूखण्ड

"अ" - अल्प आय वर्गः

1. भूखण्ड का क्षेत्रफल	52.00 वर्ग मी०
2. फ्लिन्थ संरथा	18.30 वर्ग मी०
3. एकमोडेशन	एक कमरा, डब्लू०सी०वार्थरूम, किचन एवं बाउन्ड्रीवाल, जीने के लिये स्थान आर-क्षित ।
5	
4. निर्माण लागत	16,500/= प्रति भवन
5. विक्रय मूल्य	37,500/= प्रति भवन

जो ई०डब्ल्यू०एस०/साइट सर्विस भवन 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं उनका विक्रय मूल्य हडको की सीलिंग कास्ट के अन्तर्गत रखने के लिये समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से इन भवनों में भूमि की कीमत 150/= प्रति वर्ग मीटर लगायी जा रही है। जबकि विकसित भूमि की वास्तविक लागत 360/= प्रति वर्ग मीटर आती है। ऐसा करने से जो हार्नि प्राधिकरण को होगी, उसकी क्षतिपूर्ति व्यवसायिक भूखण्डों, उच्च एवं मध्य आय वर्ग के भवनों/भूखण्डों से की जायेगी।

उपरोक्त सभी भवनों के निर्माण हेतु हडको से ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। हडको से ऋण उनके निर्धारित मानको के अनुसार प्राप्त होगा। इन सभी भवनों की प्रोजेक्ट कास्ट 14.84 करोड़ है।

अतः सभी उपरोक्त भवनों की निर्माण की स्वीकृति, उनके लिये हडको/से ऋण लिये जाने की स्वीकृति, अनुबन्ध कराने की अनुमति, तथा प्राधिकरण की ओर से अनुबन्ध करने एवं कामन शील लगाने हेतु सर्विव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

विषय:- सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "डी" में राज्य सम्पत्ति विभाग के लिये भवनों का निर्माण :-  
=====

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "डी" में राज्य सम्पत्ति विभाग के लिये निर्दिष्ट श्रेणी के 216 भवन बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये शासन का पत्र प्राप्त हो चुका है। भवनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

श्रेणी	आवासों की संख्या	निर्माण लागत	कुल लागत
4	54	1,25,80,200.00	1,62,81,392.40
3.	90	1,10,04,531.00	1,44,47,646.60
2	72	62,51,160.00	80,61,597.60
योग:	216	2,98,35,891.00	3,87,90,636.60

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इन भवनों की कुल निर्माण लागत रु0,98,35,891.00 है, तथा कुल विक्रय मूल्य रु0 3,87,90,636.60 है। यह भवन राज्य सम्पत्ति विभाग से प्राप्त धन से निर्मित कराये जायेंगे।

अतः प्रस्ताव समिति के अवलोकनार्थ एवं स्वीकृत हेतु प्रस्तुत है।

विषय:- 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित किये गये जाने वाले ई0डब्लू0एस0 /साइटएण्ड सर्विसेज व एम0आई0जी0 भवनों के प्रशासनिक चार्जेज 10% के स्थान पर 5% करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव:-  
=====

वर्तमान में जो भी भवन प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये जाते हैं उनमें प्रशासनिक चार्जेज 10% की दर से लिये जाते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भवन बनाये जाने प्रस्तावित हैं, उनकी सीलिंग कास्ट हडको के अनुसार रखी जाती है। अतः इस सीलिंग कास्ट में भवन निर्माण करने के लिये बहुत कम धनराशि उपलब्ध होती है। यह प्रस्ताव है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भवन बनाये जाने प्रस्तावित हैं। उनमें प्रशासनिक चार्जेज 10% के स्थान पर 5% की दर से लागये जाय। तथा एच0आई0जी0, एम0आई0जी0 भवनों में प्रशासनिक चार्जेज 10% के स्थान पर 12% कर दिया जाय।

इस वर्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भवन बनाये जायेंगे उनकी निर्माण लागत 8.00 करोड़ रुपये होगी, जिस पर 5% की दर से 40.00 लाख रुपया प्रशासनिक चार्जेज के रूप में प्राप्त होगा। अभियन्त्रण खण्डों में जो स्टाफ इस समय कार्यरत है उनके अनुसार प्रत्येक खण्ड पर एक वर्ष में लगभग 5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय होता है। इसके अनुसार 12 अभियन्त्रण खण्डों पर लगभग 60.00 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है, जिससे केवल 40.00 लाख रुपया 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये जा रहे भवनों से वसूलाहोगा। अभियन्त्रण खण्डों के द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अलावा अन्य विकास कार्य एवं भवन निर्माण कार्य भी कराये जा रहे हैं जिनमें भी प्रशासनिक चार्जेज वसूल होंगे।

अतः यह प्रस्ताव है कि विशेष परिस्थितियों में इस वर्ष में जो भवन 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं, उनमें प्रशासनिक चार्जेज पर व्यय 10% के स्थान पर 5% की दर से लिया जाय।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

विषय:- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय  
 केन्द्र हेतु प्रस्तावित निर्माण स्थल का भू-उपयोग कृषि से  
 क्षेत्र से संस्थान हेतु परिवर्तित करना ।

आख्या:- आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा अपने आदेश संख्या:  
 1244-46/8-8384-85 दिनांक: 2 जनवरी, 1986 द्वारा  
 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय  
 कार्यालय के निर्माण हेतु ग्राम सभा गुडम्बा में 5 बीघा,  
 6 बिस्वा व 4 विस्वांती भूमि के हस्तान्तरण के आदेश  
 पारित किये गये थे । किन्तु प्रसंगित स्थल का भू-प्रयोग  
 लखनऊ महायोजना के अनुसार कृषि क्षेत्र हेतु आरक्षित है ।  
 जिस कारण सामान्य परिस्थितियों में प्रसंगित स्थल पर  
 संस्थान की क्षेत्रीय कार्यालय के निर्माण की अनुमति प्रदान  
 किया जाना सम्भव नहीं है । सम्बन्धित विभाग द्वारा  
 प्रसंगित स्थल के भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु एक प्रत्यावेदन 3090  
 शासन एवं उपाध्यक्षा, ल0वि0ग्रा0 को दिया गया था ।

प्रसंगित स्थल ग्राम गुडम्बा में लखनऊ-कुर्ता रोड के  
 पूर्व में स्थित है और वर्तमान में आस-पास के तमस्त क्षेत्रों  
 में मुख्यतः कृषि कार्य होता है, राजस्व विभाग के अभिलेखों  
 के अनुसार प्रसंगित भूमि उत्तर दर्ज है तथा इसका कुल क्षेत्रफल  
 5 बीघा 6 बिस्वा 4 विस्वांती है ।

प्रस्ताव:- महायोजना में कृषि क्षेत्र हेतु आरक्षित प्रसंगित  
 भूखण्ड का भू-प्रयोग कृषि क्षेत्र से संस्थान के क्षेत्रीय  
 कार्यालय हेतु परिवर्तित कर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण  
 की बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय:- श्री आर०एन०पुरी व अन्य द्वारा लखनऊ इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर दी गयी भूमि पर प्रस्तावित बहुछाण्डीय भावन के मानचित्र कौसवीकृति के सम्बन्ध में ।

आख्या:-

श्री आर०एन०पुरी व अन्य द्वारा भूछाण्ड सं०: 424, न्यू टो०जा० सिविल लाइन पर एक बहुछाण्डीय भावन मानचित्र का प्रस्ताव इस विभाग में प्रस्तुत किया गया है । इस भूछाण्ड को तत्कालीन लखनऊ इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा पक्षा हेतु पट्टे पर दिया गया था एवं उस पर पट्टे की शर्तों के अनुसार पक्षा को एक भावन बनाने की अनुमति दी गयी थी । मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के अन्तर्गत इस मानचित्र के अन्तर्गत सम्पत्ति विभाग द्वारा यह आपत्ति उठाई गई थी कि चूंकि यह भूछाण्ड पक्षा को एक भावन बनाने हेतु दिया गया था अतः उसे बहुछाण्डीय आवासीय भावन बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । प्रकरण से सम्बन्धित एक प्रस्ताव प्राधिकरण की विगत बैठक दि०: 7 जुलाई, 1988 में ले जाया गया था जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :--

"विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्रूप-हाउसिंग की सामान्य नीतियों और प्रस्तावित बिल्डिंग पालिसी के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव का परीक्षाण कर लिया जाये तथा प्रस्तावित हाउसिंग योजनाओं के पट्टेदार द्वारा अर्जित लाभ से कितना अंश प्राधिकरण को बहु आवासीय यूनिट निर्माण हेतु अनुमति देने के एवज में लेना चाहिए, इसका भी परीक्षाण कर लिया जाये ।"

निर्णय के प्रथम अंश के अनुसार प्राधिकरण द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि प्रस्तावित बहुछाण्डीय भावन को ग्रूप हाउसिंग की सामान्य नीतियों और प्रस्तावित बिल्डिंग पालिसी के परिपेक्ष्य में जाँच लिया जाये । इस संबंध में मानचित्र पर तकनीकी आख्या इस प्रकार है :--

कुल भूछाण्ड का क्षेत्रफल = 43, 684 वर्गफिट

भूखल पर कवर्ड किया हुआ क्षेत्रफल = 1717. 32 वर्गफिट जोकि

कुल प्लॉट एरिया का 3.93% होता है। प्रस्तावित भावन की डिजाइन इस प्रकार की है कि भूतल से ऊपर के तल की ओर भावन का कुल आच्छादित क्षेत्रफल प्रत्येक तल पर बढ़ता जाता है और इस प्रकार आठवें तल पर पहुँचने पर भावन का कुल आच्छादित क्षेत्रफल 7744.07 वर्गफिट हो जाता है। प्रस्तावित भावन में भू-गेह 'बेसमेन्ट', भू-तल से आठ तल तक के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। समस्त तलों पर कुल 65009.22 वर्गफिट कुल आच्छादित क्षेत्रफल प्राप्त किया गया है जो एक0ए0आर0 की गणना हेतु 1.488 प्राप्त होता है।

भावन निर्माण हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया के अन्तर्गत उ0प्र0शासन द्वारा दि0: 12 मई, 1987 के शासनादेश के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग श्रेणी के भावन के निर्माण हेतु निर्देशा दिये गये थे जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के भावनों के निर्माण हेतु 35% भू-आच्छादन 1.50 एक0ए0आर0 तथा 300 व्यक्ति प्रति एकड़ की जनसंख्या का घनत्व निर्धारित किया गया है। प्रस्तुत मानचित्र में भू-तल का भू-आच्छादन तो मात्र 3.93% ही है किन्तु भावन के उच्चतम तल का भू-आच्छादन 7744.07 वर्गफिट अर्थात् उच्चतम तल पर 17.72 का भू-आच्छादन प्रोजेक्शन को छोड़ते हुए प्राप्त किया गया है किन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में इस श्रेणी के भावनों हेतु उपर्युक्त शासनादेश में निर्धारित 35% से कम का भू-आच्छादन प्राप्त किया गया है और चूँकि कुल एक0ए0आर0 निर्धारित 1.50 से कम है अतः शासनादेश दि0: 12 मई, 87 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित भावन का ग्राउण्ड कवरेज एवं एक0ए0आर0 नियमों के अनुकूल है।

प्रस्तुत मानचित्र में आवासीय भावन में भू-गेह "बेसमेन्ट" में वाहनों के पार्किंग हेतु व्यवस्था की गयी है किन्तु 12 मई, 87 के शासनादेश के प्राप्त होने तक भावन निर्माण अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध समस्त प्राविधानों में आवासीय भावनों में बेसमेन्ट के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं उपलब्ध होता है और इस संबंध में अधिनियम मौन है। भावन हेतु नियमों के अनुसार वांछित पार्किंग स्थल की यदि गणना की जाये तो वांछित कुल पार्किंग स्थान बेसमेन्ट को सम्मिलित करने के पश्चात् ही प्राप्त होता है और वांछित समस्त पार्किंग की सुविधा मात्र भूतल पर उपलब्ध नहीं कराई गई है।

उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत ल0वि0प्रा0 की विगत बैठक में भावन निर्माण उपनियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और विगत बैठक में प्राधिकरण के यह निर्देशा प्राप्त हुए थे कि इन नवीन उपनियमों की अधिसूचना की प्रकाशना में उक्त स्तर तक प्रयोग कर

लिया जाये जहाँ तक पूर्व नियमों का ग्रात वायलेशन न हो । अन्य प्रस्तावित भूखण्डों में ग्रुप हाउसिंग को श्रेणी के बहुखण्डीय भावन में पार्किंग एवं अन्य भावन संबंधी सुविधाओं हेतु बेसमेन्ट के बनाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है तथा ऐसे श्रेणी के भावनों हेतु 30% भू-आच्छादन तथा 200 एकड़ आर० का प्राविधान रखा गया है । अतः यदि मानचित्र को वर्तमान में प्रस्तावित उपनियमों के परिपेक्ष्य में जाँचा जाता है तो पार्किंग की सुविधा सहित अन्य प्राविधान भी इस मानचित्र में उपर्युक्त रूप से उपलब्ध हो जाता है किन्तु पूर्व नियमों में बेसमेन्ट संबंधी स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण पूर्व नियमों के अनुसार बेसमेन्ट की अनुमति देना विचारणीय प्रश्न है ।

भावन से संबंधित स्थल टा०जा० न्यू तिविल लाइन १ न्यू हैदराबाद क्षेत्र में गोमती बांधा के बगल बीरबल साहनी मार्ग एवं बैजनाथ मार्ग के मुहाने पर स्थित भूखण्ड पर प्रस्ताव दिया गया है । भावन के सम्मुदा उपलब्ध सड़कों के सापेक्ष भावन की ऊँचाई पर गणना करने पर इतना स्थान उपलब्ध है जिससे प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है किन्तु क्षेत्र में वर्तमान में उपलब्ध नये नियमों के सापेक्ष प्रस्तावित भावन की ऊँचाई इतनी अधिक है जिससे अन्य भावनों के रहने वालों की प्राइवैसी के संबंध में स्पष्ट रूप से विचार किया जाना आवश्यक है क्योंकि स्थल पर उपलब्ध अन्य समस्त भावन या तो एक मंजिले हैं या अधिकतम तीन मंजिल की ऊँचाई तक के बने हुए हैं ।

पट्टेदार किसी प्रकार का लाभांश देने के लिए सहमत नहीं है। उनके द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न है। प्राधिकरण स्तर पर ऐसा कोई पूर्व-प्रकरण नहीं उपलब्ध है जिसमें समान प्रकार के मामलों में लाभांश हेतु कोई फार्मूला निर्धारित किया गया हो। नज़ूल भूखण्डों के मामलों में ऐसी अनुमति देने पर नज़ूल रेण्ट को सभी, इकाइयों में समानुपाति के आधार पर बाँटा जाता है।

प्रस्ताव:- प्राधिकरण प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति एवं प्रश्नगत भूखण्ड पर बहुआवासीय इकाइयाँ बनाने की अनुमति के संबंध में विचार करना चाहिए ।

LUCKNOW.

Mr. Arun Kumar Misra  
Vice-Chairman  
Lucknow Development Authority.  
LUCKNOW -- 226 001.

13th September; 1988

Reg : APPROVAL OF BUILDING PLANS for the proposed "PURI-APARTMENTS", residential complex on Improvement Trust Plot No. 424, New T.G. Civil Lines Scheme at Dr. Baij Nath Road, New Hyderabad, Lucknow.

Dear Mr. Vice-Chairman,

This has reference to the personal discussion under-signed has with your good-self regarding the proposed multi-storeyed residential complex. I take the liberty of thanking you for the courtesy extended and patient hearing given.

I am in receipt of a letter No. 321/Prabhari Adhikari - 1 (Bhawan)/88 dt. 12.9.88 from L.D.A. Wherein I have been intimated about the resolution passed by your Board on their last meeting held on dt. 7.7.88. Regarding this I have to state as under:-

1. As regards the policy for sanctioning the building plans on Improvement Trust leased land should be the same/in line with as in the case of Nazul leased lands. Both the lands i.e. Improvement Trust and Nazul are very much part of this integrated city. On Nazul leased lands multi-storeyed Group Housing Building plans and multi-Storeyed Commercial Building plans are being approved /sanctioned and buildings are being constructed.

2. New multi-storeyed Group Housing Building plans in this locality itself, of New Hyderabad, have been approved/sanctioned by L.D.A. On Improvement Trust free-hold lands and buildings thereon are being under construction eg. by M/S Arif and Eldeco. As such plans are being passed/sanctioned/approved for Multi-storeyed Group Housing Buildings in this area/locality.

3. As regards Lucknow Development Authority's proposal for sharing of certain percentage of profit with the lessee of their land, in lieu of giving permission for construction of Group Housing Building, is being very unreasonable. On the contrary, in this

p.T.o

particular case the lessee, by constructing the building is providing dwellings for about 44 families - which is very much in line with the theme of our Government policy and helping in solving the housing problem. Otherwise on the same piece of land one family would have been living.

4. As regards the load on the services e.g. water and sewage, I would like to state that for the total water requirement, requisite tube-well and storage facilities will be provided by us for the entire building. Regarding present sewage system, which is quite sufficient, will not require any further strengthening.

Keeping the above points in view I will request your good-self to consider the proposal favourably and the necessary approval may be expedited.

Thanking you,

Yours Truly,

Sd./Ill.

(R.N. PURI)

विषय:- मेसर्स मोटर सेल्स लि०, 11-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ  
 द्वारा अपने वर्तमान भवन में परिवर्तन एवं परिवर्धन हेतु दिये  
 गये मानचित्र की स्वीकृत के सम्बन्ध में।

आख्या:- हजरतगंज में महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित मेसर्स  
 मोटर सेल्स के भवन में वर्तमान में उपलब्ध निर्माण के  
 अतिरिक्त भवन में उपलब्ध निर्माण में परिवर्तन तथा अन्य  
 तलों पर नये निर्माण हेतु एक प्रस्ताव इस विभाग में प्रेषित  
 किया गया था। किन्तु प्रस्तावित मानचित्र में इस श्रेणी के  
 भवनों हेतु निर्धारित भू-आच्छादन, एक०ए०आर० तथा  
 सेट बैक की अनुकूलता न होने की दशा में मानचित्र पर स्वीकृत  
 दिया जाना सम्भाव न हो सका था। किन्तु भवन के पुराने  
 स्वरूप के बनाये रखे जाने के प्रस्ताव के कारण मानचित्र स्वीकृत  
 करने हेतु सम्बन्धी कुछ मौलिक आवश्यकताओं में छूट प्रदान करने  
 हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 3 फरवरी, 1988 तथा  
 7 जुलाई, 88 में प्रस्ताव प्राधिकरण के सम्मुख रखे गये थे।  
 किन्तु विभिन्न अवसरों पर प्राधिकरण द्वारा चाही गयी  
 जिज्ञासाओं हेतु प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत है।

प्रसंगित प्रस्ताव एक ऐसे भवन हेतु दिया गया है  
 जिसके द्वारा मौजूदा भवन में कुल भूखण्ड का 94.97%  
 ग्राउण्ड कवरेज महायोजना लागू होने के पूर्व में कर लिया गया  
 था एवं इसी प्रकार मेजनाइन तथा प्रथम तल पर कुमरा:  
 59.33 व 29.28 वर्तमान में उपलब्ध है, मौजूदा भवन में  
 कुल 1.84 एक०ए०आर० प्राप्त किया जा चुका है।

प्रकरण में उपलब्ध निर्माण के सापेक्ष प्रस्तावित  
 निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०शासन का  
 परामर्श मांगा गया था जिस पर सम्बन्धित विभाग  
 द्वारा निम्न बिन्दुओं पर छूट दिये जाने के पश्चात मानचित्र  
 की स्वीकृति पर विचार करने का परामर्श दिया गया था।

§18 सेट बैक :- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० द्वारा भवन के  
 सापेक्ष नियमों के अनुसार "नियम-०" का सेट बैक की अनिवार्यता

पर बिल्डिंग लाइन एवं मौजूदा भवन को स्थातियों के कारण छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है। इसी प्रकार भवन के बगल में स्थात गली हेतु वांछित 10फिट-0" के सेट बैक से छूट दिये जाने का परामर्श मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दिया गया है।

§2§ प्रस्तावित मानचित्र में प्रस्तावित एफ0ए0आर0, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के परामर्श के अनुसार प्रथम तल पर उपलब्ध 27.49 कवर्ड एरिया को कम करके प्राप्त किया जा सकता है जिसे पक्षा ने संशोधित मानचित्र में संशोधित कर दिया है।

§3§ पार्किंग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क के नियमों के अन्तर्गत पर पार्किंग शुल्क लेने का अनुमति का गया है।

§4§ भू-प्रयोग :- महायोजनानुसार प्रसंगित स्थल के सामने स्थात सड़क को चौड़ाई 100फिट-0" होना चाहिए जिस हेतु मौजूदा 93फिट-4" चौड़ी सड़क को 100फिट-0" करने हेतु नियमानुसार 3फिट-4" चौड़ा स्थान प्रसंगित भूखण्ड से छोड़ा जाना चाहिए किन्तु बिल्डिंग लाइन तथा मौजूदा भवन को यथावत स्थात बनाये रखाने के कारण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा इसे छोड़ा जाना अव्यवहारिक बताया गया है।

प्रस्ताव :- प्रस्तुत परिवर्तन एवं परिवर्धन के मानचित्र पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग को अनुमति के अन्तर्गत :-

- 1- सड़क विस्तार से छूट प्रदान करना।
- 2- सेट बैक से छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के सम्मुख विचारार्थी प्रस्तुत।

विषय :- बाजूदखाना में बद्रीनाथा रोड स्थित श्री सुनीत माथुर को  
 आवंटित नजूल भूमि संख्या: 69 का भू-उपयोग परिवर्तन ।

प्रस्ताव:- बाजूदखाना में गोपीनाथा रोड स्थित नजूल भूखण्ड संख्या-69, जिसका क्षेत्रफल 296 वर्गफिट है, का आवंटन नीलामी द्वारा श्री सुनीत माथुर को किया गया है और नीलामीतथा आवंटन की पुष्टि आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा दिनांक: 21-5-87 को इस शर्त के साथ कर दी गयी कि प्रश्नगत स्थल का पट्टा व्यवसायिक प्रयोग हेतु तब तक नहीं किया जायेगा जब तक प्रसंगित भूमि का भू-उपयोग शासन द्वारा व्यवसायिक परिवर्तित न कर दिया जाये । आयुक्त महोदय द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने के भाी निर्देश प्रदान किये गये हैं ।

प्रसंगित भूखण्ड नजूल के अभिलेखाओं में रास्ते के रूप में दर्ज था एवं इसकी मापें 8 फुट x 37 इंच है तथा यह क्षेत्र के सामान्य भूतल से लगभग 6 फिट-0" गहराई में है । इस समस्त क्षेत्र एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों का पानी इसी रास्ते से बहकर क्षेत्र के मुख्य नाले में मिलता है एवं अधिकांश वर्षा की अवस्था में बरसाती पानी के तौर निकास का यह रास्ता एक मुख्य श्रोत रहा है । इस भूखण्ड के एक ओर एक आवासीय भवन है तथा दूसरी ओर शिव मन्दिर स्थित है । प्रसंगित भूखण्ड के आस-पास के क्षेत्र महायोजना में आवासीय तथा इसके आस-पास के अन्य क्षेत्रों का प्रयोग भाी लगभग आवासीय किया जा रहा है । भूखण्ड का आवंटन श्री सुनीत माथुर को व्यवसायिक शर्तों पर नीलामी द्वारा निर्धारित की गयी धारणा पर आवंटित किया गया है और चूँकि आवंटन की पुष्टि भाी सक्षम अधिकारी द्वारा दी की जा चुकी है । अतः प्राधिकरण प्रसंगित भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन करने पर विचार करना चाहें ।

विषय:- केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को आवंटित भूमि का टोकन लीजरेन्ट लिए जाने के सम्बन्ध में।

आख्या:- लखनऊ विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना के लिए गौमती नगर आवास योजना के अन्तर्गत 10 एकड़ का एक भूमि खण्ड राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानव सहायन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार को आवंटित किया है। इस भूमि खण्ड के मूल्य के रूप में ₹ 16,33,950/- भारत सरकार द्वारा तथा इतने ही ₹ 16,33,950/- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्थात् कुल मिलाकर ₹ 32,67,900/- वस्तुतः लाख सड़सठ हजार नौ सौ मात्र ₹ का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया जा चुका है। इस भूमि खण्ड के निबन्धन रजिस्ट्रेशन के लिए निष्पादित किए जाने वाले पट्टे पर स्टाम्प शुल्क की छूट भी उ०प्र० सरकार ने हमारी संस्था को प्रदान कर दी है।

2. केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ अलागंज, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-22016/88-ए.डी. एम. एन./के. एम. वी. एम./1973/दिनांक-13.7.88 प्रतिनिधि संलग्न द्वारा अनुरोध किया है कि जिस प्रकार केन्द्रीय विद्यालय को आवंटित भूमि में टोकन लीज रेण्ड लिए जाने की सुविधा ल०वि०प्र० द्वारा प्रदान की गयी है, उसी प्रकार केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को भी यह सुविधा प्रदान कर दी जाय। उन्होंने अपने उपरोक्त पत्र में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी मानव सहायन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अधीन एक उसी प्रकार की स्वायत्तशासी संस्था है, जिस प्रकार केन्द्रीय विद्यालय है। भारत सरकार ने लखनऊ में इस केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना संस्कृत के प्रचार/प्रसार के लिए की है। इस विद्यापीठ द्वारा उ०प्र० के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

#### प्रस्ताव

प्राधिकरण कृपया केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को आवंटित भूमि का टोकन लीज रेण्ड अर्थात् ₹ 1/- प्रतिवर्ष लिये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

विषय:- गोमती नगर योजना में मे० इंडियन होटल्स लि० नई दिल्ली शूताज ग्रुप को होटल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने से सम्बन्धित।

आख्या:- उपरोक्त होटल को गोमती नगर योजना में 5 एकड़ भूमि दिये जाने से सम्बन्ध में विजय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.12.86 में विषय सं०-5 के अन्तर्गत रखा गया था।

प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त होटल को 5 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करा दी जाय। इसके अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि को जो मांग मनोरंजन प्रयोग हेतु की गयी है, इस सम्बन्ध में टर्म्स एण्ड कंडीशंस बनाकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करा ली जाय और तब इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के तारतम्य में 25 एकड़ भूमि दिये जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध की शर्तें बनाकर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.7.88 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी थी।

प्राधिकरण ने विचारोपरांत निम्नालिखित निर्णय लिये:-

1. एग्जिमेंट के क्लोज़्डो में निम्नवत अंकित किया जाय:-  
The licensee may construct temporary wooden shelters, the purpose and design of which will be approved by Lucknow Development Authority.
2. The land will be allotted on token license fee of Rs.10,001/-per year.
3. The period of license will initially be for 30 years. Before expiry of 30 years the license will be renewable for further 30 years of agreeable terms and conditions.

उपरोक्त निर्णय की क्रम सं०-3 के सम्बन्ध में जब मे० इंडियन होटल्स प्रा० लि० नई दिल्ली को सूचित किया गया तो उन्होंने इस पर आपत्ति प्रकट की। आपत्ति प्रकट करने का कारण यह है कि उपरोक्त होटल को जो 5 एकड़ भूमि होटल के निर्माण हेतु दी गयी थी, उसका जो अनुबन्ध निष्पादित किया गया था, उसमें प्राधिकरण की नीति के अनुसार उपरोक्त 5 एकड़ भूमि 90 वर्ष की लीज पर दी गयी थी। उससे सम्बन्धित धारा-8 में यह प्राविधान था कि आवंटित 5 एकड़ भूमि से संलग्न लगभग 25 एकड़ भूमि मनोरंजन के अभिप्राय से उसी लीज अवधि के लिए आवंटित की जायेगी, जिस लीज अवधि के लिए अनुबन्ध निष्पादित किया गया है। भूलवश यह बिन्दु प्राधिकरण की पूर्व बैठक में निर्णय लेते समय बताने से रह गया।

अतः 5 एकड़ भूमि के लिए किये गये अनुबन्ध की धारा-8 में किये गये प्राविधान के अनुसार संलग्न लगभग 25 एकड़ भूमि जो मनोरंजन के अभिप्राय से उक्त होटल को दी जानी है, वह भी 90 वर्ष की लाइसेन्स पर देने हेतु प्राधिकरण कृपया निर्णय लेने का कष्ट करें।

विषय:- भूखण्ड संख्या-बी/973-सी, महानगर योजना के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:-

श्रीमती जमुना समतानी को वर्ष 1965 में भूखण्ड सं०-सी-871, महानगर योजना में आवंटित किया गया था जिसकी धनराशि पक्ष द्वारा जमा कर दी गयी परन्तु उक्त भूखण्ड पर स्थगनादेश होने के कारण श्रीमती समतानी को उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका। तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.8.87 को उक्त योजना में ही भूखण्ड संख्या-बी-973/सी, आवंटित किया गया जिसका क्षेत्रफल 6174 वर्गफिट था, जबकि पूर्व में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल 3315 वर्गफिट ही था। पक्ष द्वारा 3315 वर्गफिट के भूखण्ड का मूल्य भी जमा कर दिया गया और शेष भूमि का धन आवंटन की तिथि की दर से उन्हें वांछित धन जमा करने हेतु सूचित कर दिया गया। चूंकि प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग पार्क के रूप में जोनल प्लान में अंकित बताया गया है परन्तु लॉर्वि०प्रा० द्वारा बनाये गये महानगर क्षेत्र के जोनल प्लान में इस स्थल को खुले स्थान के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

इस स्थल पर महा नगर के मूल विन्यास मानचित्र में दो आवासीय भूखण्ड प्रस्तावित थे और शेष भाग में बैंक हेतु स्थल आरक्षित किया गया था लेकिन बैंक वाले स्थान पर जल निगम ने आवासीय फ्लैट बना लिये है जिससे अब यह भूमि आरक्षित नहीं रह गयी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र के जोनल प्लान में इसे ओपेन स्पेस हेतु दर्शाया है जबकि वर्तमान में इस स्थल पर फ्लैट बने हुए हैं और मात्र भूखण्ड सं-बी-973/सी ही रिक्त है जिस पर जोनल प्लान के अनुसार खुला स्थल रखना सम्भव नहीं है।

इन परिस्थितियों में श्रीमती समतानी को वर्तमान में आवंटित भूखण्ड सं०-बी-973/सी, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये जोनल प्लान में महानगर के इस क्षेत्र को खुला स्पेस प्रस्तावित किया गया है का भू-उपयोग परिवर्तन पार्क से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रश्नगत प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या : 16 विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक : 7.10.88 हेतु आख्या

विषय :- अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की अर्जित भूमि के संबंध में ।

1. अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी से संबंधित भूखण्डों अधिसूचना अ/धा 4, 1781881क8 का प्रकाशन शासकीय गजट दिनांक : 25.8.86 में किया गया था, तथा अ/धा 6, 178188 के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक : 1.9.86 में किया गया था।  
2. उक्त सूचनाओं का दैनिक समाचार पत्रों में भी क्रमशः दिनांक : 31.8.86 तथा 4.9.86 को किया जा चुका है।

3. उपरोक्त अधिसूचनाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस आख्या पर पुनः जारी की गयी थी कि पूर्व में वर्ष 1959-60 नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत जो जमीन अधिग्रहीत की गयी थी उसका कब्जा विभिन्न विवादों एवं न्यायालय आदेशों के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण को नहीं मिल सका था। अतः अर्जन विभाग द्वारा यह आख्या दी गयी थी-

"चूंकि अदालती कार्यवाही में काफी समय लग जाने की सम्भावना है और लखनऊ विकास प्राधिकरण को उक्त भूमि अपनी आवासीय समस्या को समुचित रूप से सुलझाने के लिए आवश्यक है। अतः न्यायिक समस्या के समाधान में देरी को बचाने की दृष्टि से यह उचित मालूम होता है कि संबंधित भूमि को भूमि अध्यापित अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित कर लिया जाए ताकि भूमि प्राप्त करने में कम से कम देरी हो सके।"

4. परन्तु अपर इण्डिया पेपर मिल्स द्वारा रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर किये जाने के कारण तथा स्थान आदेश प्राप्त होने के फलस्वरूप पुनः अर्जित सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी और न ही कब्जा प्राप्त किया जा सका।

5. लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.10.87 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था -

"विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए भूखण्ड एवं आवासीय इकाईयों की आवश्यकता के आधार पर प्रतिबन्ध लगाकर भू-उपयोग परिवर्तन कर पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में शासन को संस्तुति की जाए। अवशेष भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कर विकास प्राधिकरण पर अपनी आवासीय योजना बनाई जाये।"

6. उपरोक्त निर्णय का अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि अवशेष भूमि केवल खसरा नम्बर-88 पी ही बचता था जिसका क्षेत्रफल केवल 0-11-4-15 बचता था जिस पर कोई आवासीय योजना नहीं बनाई जा सकती थी। क्योंकि यह क्षेत्रफल केवल लगभग-16,000 वर्ग फिट ही है। अवशेष विज्ञापित नम्बर 50 पी, 51, 52पी, 53पी, 54पी, 81 तथा 82 पी, जिनका सामूहिक क्षेत्रफल बीघा 19-5-5-15 है, वह पेपर मिल के पट्टे में है।

7. दिनांक 3.2.88 को लखनऊ विकास प्राधिकरण की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स को सूचित किया गया कि प्रशानगत भूमि में से आधी जमीन पर स्वयं निर्माण एवं विकास कार्य कराने के इच्छुक हो तथा अवशेष आधी जमीन को वह लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कराना चाहे तो इस सम्बन्ध में अनुबन्ध कराने हेतु सहमति दें ताकि आगामी बैठक में प्रस्ताव स्वाकृत हेतु रखा जाए।

8. उपरोक्त पत्र का उत्तर अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स ने दिनांक 17.3.88 को दिया है कि यह प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं है।

9. इसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि प्रश्नगत भूमि का पट्टा उन्हें 90 वर्षों के लिए वर्ष 1942 में नवीनीकृत किया गया था और इस प्रकार वह इसके प्रयोग के अधिकारी है। चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण का उद्देश्य आवासीय योजना क्रियान्वित करना है— और चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण प्राइवेट कालोनाइजर्स को भूमि आवासीय योजना हेतु उपलब्ध करा रहा है— इसलिए न्यायिकवादों को समाप्त करने की दिशा : यदि उन्हें उक्त भूमि पर भवन आदि बनाने की अनुमति दे दी जाती है तो वह :-

§1§ आन्तरिक विकास के लिए 25% गारन्टी देने को तैयार हैं।

§2§ वाह्य विकास में सीवरेज तथा जल आपूर्ति को जल संस्थान/नगर महापालिका से प्रबन्ध करेंगे।

§3§ बिजली आपूर्ति के लिए लैसू से प्रबन्ध करेंगे।

§4§ वाह्य सड़क को चौड़ा करने का अनुपातिक व्यय देंगे।

अतः उपरोक्त आधार पर जो भवन मानचित्र उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया है उन्हें स्वीकृत कर दिया जाय तो वह समस्त वाद न्यायालयों से उठा लेंगे।

वर्षीय परिस्थितियों में धारा- 4, तथा 6, 17 §1§ की विज्ञापित प्रकाशित हो जाने के कारण तथा विभिन्न वाद लम्बित होने के कारण उन्हें मानचित्र स्वीकृत कि जाने हेतु अनापत्ति नहीं दी जा सकी है।

यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि निम्नात गंज घनी आबादी वाले क्षेत्र में अपर इण्डिया पेपर मिल्स के औद्योगिक एवं व्यवसायिक स्वरूप के पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने हेतु अर्जित भूखण्डों में घने खड़े वृक्षों की रक्षा भी आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विन्दुओं के आधार पर विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत है कि अपर इण्डिया पेपर मिल्स के मानचित्रों की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रदान की जाए अथवा नहीं। यदि हाँ तो किन शर्तों पर।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ पूर्वानुमोदित एवं लम्बित योजना का विवरण:-

सारांश:-

पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि जो योजनाएँ प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हैं एवं विज्ञापित अभी तक जारी न हो सकी है वे समस्त योजनाएँ पुनः प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाय। उपरोक्त निर्णय के क्रम में पूर्वानुमोदित एवं लम्बित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	योजना का नाम	क्षेत्र/एकड़ में	विवरण
1.	चारबाग रेलवे स्टेशन के समीप पब्लिक फेसिलिटी योजना	1.11	इस योजना के अर्जन प्रस्ताव को दिनांक 30.5.87 को सीधे शासन को प्रेषित किया गया। यह योजना शासन स्तर पर लम्बित है।
2.	अगोक मार्ग पर आवासीय योजना	1.59	ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 7.5.86 द्वारा गठित उप समिति के निरीक्षण के उपरान्त उक्त योजना दिनांक 13.5.86 को स्वीकृत की गई तत्पश्चात् जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्ताव दिनांक 11.6.87 को प्रस्तुत किए गये। उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर अनेको कच्चे पक्के अनाधिकृत मकान बने हुए हैं।
3.	कान्च कुब्ज कालेज के पास	3.54	इस योजना का अर्जन प्रस्ताव शासन को सीधे दिनांक 30.5.87 को प्रेषित किया गया था। वर्तमान समय में यह योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है।
4.	बटलरगंज भू० सं० 63 ए व बी पर योजना	1.50	भूमि अर्जन का प्रस्ताव दिनांक 8.6.87 को सीधे शासन को प्रेषित किया गया था। और शासन स्तर पर विचाराधीन है।
5.	हाता रानी साहिबा मलिन बस्ती सुधार योजना		इस योजना के अन्तर्गत 30,277 वर्ग फिट अधि-ग्रहीत की गयी थी। इसमें से केवल 9,612 वर्ग फिट निर्माणों के बीच-बीच में खाली है और चारों तरफ पक्के भवन, दुकाने, व तीन श्रेष्ठ आंगन से घिरा हुआ है। इस भूमि का कब्जा निर्माणों को हटाये वगैर नहीं किया जा सकता क्योंकि जो रिक्त भूमि है उसका उपयोग राहते अथवा भवनों की सामाजिक सुविधा के लिए किया जा रहा है। अतः खाटिक पंचायत के प्रत्यावेदन पर शासन के निर्णयार्थ आख्या प्रेषित की गयी प्राधिकरण इस विषय पर निरीक्षणोपरान्त निर्णय लेना चाहें।

क्र०सं०	योजना का नाम	क्षेत्र एकड़ में	विवरण
5.	अलीगंज भाग-3	3.091	ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 26.7.86 में लिए गये निर्णय के अनुसार जिसमें 5 एकड़ तक क्षेत्र की योजना हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव सीधे गेजने का अधिकार प्राप्त है के अनुसार दिनांक 19.11.87 को प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिये गये । वर्तमान समय में योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है ।
6.	ए.पी. सेन रोड नं०14	0.92	ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 22.12.79 में उक्त योजना हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दि० 25.4.80 को प्रेषित किये गये, जिला-धिकारी द्वारा उक्त प्रस्ताव शासन को दिनांक 30.6.80 को प्रस्तुत कर दिये गये वर्तमान समय में यह योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है ।
7.	बीरबल साहनी मार्ग पर कार्त्तव्य कालेज के पास आवासीय योजना	9.02	ल०वि० प्रा० की बैठक दिनांक 7.5.86 द्वारा गठित उप समिति के उपरान्त उक्त योजना का 13.5.86 को स्वीकृत की गयी । तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 9.4.86 तथा जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रस्ताव 30.5.87 को प्रस्तुत किये गये वर्तमान समय में यह योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है ।
8.	अलीगंज सब्जी मंडी योजना	0.98	उक्त योजना ल०वि०प्रा० की बैठक दि० 4.7.79 में अनुमोदित की गई तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दि० 28.9.79 एवं जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रस्ताव दि० 25.4.80 को प्रेषित किये गये समस्त भूमि पर कच्चे पक्के निर्माण व प्रा० स्कूल स्थापित है। प्रा० स्कूल की वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण शासन द्वारा आग्रह कार्यवाही नहीं की गई ।
9.	कानपुर रोड भाग-3ए	159.98	उक्त योजना ल०वि०प्रा० की बैठक दि० में अनुमोदित की गयी तत्पश्चात् जिलाधिकारी का प्रस्ताव दिनांक 30.5.87 को प्रेषित किये गये वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।

क्र०सं०	योजना का नाम	क्षेत्र एकड़ में	विवरण
10-	रुस्तम नगर आवासीय योजना	8.34	ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 23.1.85 में उक्त योजना अनुमोदित की गई। तत्पश्चात् जिलाधिकारी को दिनांक 18.1.85 को प्रेषित किया गया वर्तमान समय में उक्त योजना जिला-धिकारी स्तर पर लम्बित है इस योजना में आने वाली कुछ भूमि पर कच्चे पक्के मकान बने हैं तथा कुछ भूमि रिक्त है।
11-	कैम्बल रोड आवासीय योजना	1399.96	ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 24.1.84 में उक्त योजना अनुमोदित की गई, प्रस्ताव जिलाधिकारी को 3.12.83 को ल०वि०प्रा० की स्वीकृत की प्रत्याशा में प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजे गये। दिनांक 24.8.87 को प्रस्ताव वि०भू० अ०अ० के कार्यालय से 24.8.87 को वापस प्राप्त हुए जिसमें वि०भू०अ०अ० ने उक्त योजना को चार भागों में विभक्त करवाकर भेजने का अनुरोध किया उक्त क्रम में योजना कैम्बल रोड भाग-1 क्षेत्र 485.02 एकड़ के भूमि अर्जन प्रस्ताव दिनांक 2.6.88 को पुनः जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिये गये। वर्तमान समय में यह योजना जिला-धिकारी स्तर पर लम्बित है।
12-	कैण्ट रोड पर व्यवसायिक योजना	1.32	ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 26.7.86 में लिए गए निर्णय जिसमें 5 एकड़ क्षेत्रफल तक प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय को भेजने का अधिकार है, के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 24.4.86 के क्रम में योजना के प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज दिए गए उक्त भूमि पर पक्की इमारत बनी हुई जिसके 14 विस्थापित है तथा यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर विचाराधीन है।
13-	भिलावा आवासीय योजना	319.04	यह योजना दिनांक 19.10.87 में ल० वि०प्रा० की बैठक में अनुमोदित की गई तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 21.1.87 को प्रस्तुत किये गये इस योजना में आने वाली 804 भूमि निम्नलिखित से आच्छादित है। वर्तमान समय में यह योजना जिला-धिकारी स्तर पर लम्बित है।

क्र०सं०	योजना का नाम	क्षेत्रफल में	विवरण
14.	नेपियर रोड योजना भाग-3	85.00	यह योजना 2.4.75 को ल०वि०प्रा०की बैठक में अनुमोदित की गई, तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी दि०17.1.79 को प्रस्तुत किये गये उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली 90% भूमि निर्माणों से आच्छादित है जिसमें 200 विस्थापित है। वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
15.	नेपियर रोड योजना भाग-4	19.50	यह योजना दि० 24.11.82 को ल० वि०प्रा० की बैठक में अनुमोदित की गई तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दि० 1.6.83 को प्रस्तुत किये गये इस योजना के अन्तर्गत आने वाली 40% भूमि रिक्त है शेष निर्माण से आच्छादित है। वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
16.	ए.पी.तेन रोड पर योजना	1.41	यह योजना दिनांक 4.7.79 को ल० वि०प्रा० की बैठक में अनुमोदित की गई, तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को 21.9.79 को प्रस्तुत किये गये शासन को वर्ष 1980 में योजना गई शासन द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये तत्पश्चात् पुनः ल. वि. प्रा. की बैठक दि०07.5.86 में गठित उप समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना था, जो नहीं हो सका।
17.	जियामऊ आवस्यीय योजना	7.41	योजना जिलाधिकारी को दि०10.6.88 को प्रस्तावित की गई इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के कुलभाग पर पक्के भवन बने हुए हैं तथा कुछ रिक्त हैं, वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
18.	कामर्षियल काम्प्लेक्स एवं आवासीय योजना	1.03	यह योजना ल. वि. प्रा. की स्वीकृत की प्रत्याशा में दि० 25.4.86 को जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी तत्पश्चात् ल. वि. प्रा. की बैठक दि०26.7.86 में लिये गये निर्णय के अनुसार 5 एकड़ में कम भूमि को अर्जित करने हेतु प्रस्ताव भेजने का अधिकारी लिये उपाययोजना की प्रदान

- कर दिया गया इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर कुछ पक्के मकान एवं दुकाने एवं कुछ भूमि रिक्त है। जिसमें 16 विस्थापित हैं। वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
- 19- लालबाग व्यवसायिक योजना 7.90 यह योजना दि० 19.10.87 को ल० वि० प्र० की बैठक में अनुमोदित की गई, तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दि० 17.1.87 को प्रस्तुत किया गया इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण क्षेत्र निर्माणों से आच्छादित है वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
- 20- फातिमा अस्पताल में भूमि 0.1215 यह योजना ल० वि० प्र० की स्वीकृत की प्रत्याशा में दि० 03.2.83 को जिलाधिकारी को भेज दी गई तत्पश्चात् ल० वि० प्र० की बैठक दि० 26.7.86 के द्वारा 5 एकड़ से कम भूमि का प्रस्ताव उपा-ध्यक्ष को अपने स्तर से भेजने की स्वीकृत प्रदान कर दी गई। वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
- 21- कुर्सी रोड को चौड़ा करने की योजना 8.34 प्राधिकरण से परिचालन द्वारा दिनांक 9.3.85 को योजना के अर्जन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दि० 21.6.85 को प्रेषित किया गया। अभी भी प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है। इस योजना के अन्तर्गत कई पक्की दुकानें एवं भवन आते हैं।
- 22- टिकैतराय तालाब सौन्दर्यीकरण 10.69 प्राधिकरण द्वारा अर्जन की स्वीकृति के उपरांत दि० 24.4.86 को प्रस्ताव जिलाधिकारी ल० को प्रेषित किया जा चुका है। अभी तक प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित नहीं किया गया है।
- 23- उजरियांघ भाग-4 33.15 योजना जिलाधिकारी को दि० 30.11.85 को प्रेषित की गई थी। ल० वि० प्र० की बैठक दि० 07.5.86 में लिए गए निर्णय के अनुसार गठित उप समिति के निरीक्षण दि० 13.5.86 में योजना स्वीकृति की गयी। तुरन्त भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना को दो भागों में विभक्त कर प्रथम भाग शासन को प्रेषित कर दिया गया है।

24. अलीगंज आवासीय यो. 20. 23  
भाग-2 योजना जिलाधिकारी लखनऊ को दि० 5. 12. 84 को प्रेषित की जा चुकी है। प्राधिकरण की बैठक दि० 23. 1. 85 में अर्जन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत रवीन्द्र गार्डन कॉलोनी की भूमि जो कि पूर्व में शासन द्वारा अलीगंज योजना से मुक्त कर दी गयी थी. के पुनः अर्जन का प्रस्ताव है।
25. सीतापुर रोड नगर, 1. 37  
प्रसार योजना भाग-3 सीतापुर रोड योजना प्रा० की बैठक दि० 9. 3. 85 में स्वीकृति की गयी थी। इस यो. के मध्य कुछ भूमि जो अर्जित नहीं थी, के अर्जन का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दि० 6. 6. 87 को प्रेषित किया जा चुका है। योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
26. बटलरगंज भू० सं० 38, 11. 30  
39, 40, 41 पर योजना योजना जिलाधिकारी को भूमि अर्जन हेतु दि० 11. 4. 86 को प्रेषित की जा चुकी है। प्रा० की बैठक दि० 7. 5. 86 में लिये गये निर्णय के अनुसार गठित उप समिति के निरीक्षण दि० 13. 5. 86 के उपरांत योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन का प्रस्ताव स्वीकृति किया जा चुका है। योजना की समस्त भूमि नजूल होने के कारण उपाध्यक्ष महोदय के सीधे शासन को दि० 30. 5. 87 को प्रेषित की जा चुकी है योजना स्तर पर लम्बित है। संभवतः इस भूमि को शासन द्वारा किसी समिति को दिये जाने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
27. प्रयागपुर हाउस नं० 2 1. 280 प्राधिकरण की बैठक दि० 25. 7. 86 में लिये गये निर्णय के अनुसार 5 एकड़ तक की भूमि के अर्जन की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय तमक्ष है। अतः उपाध्यक्ष के आदेश दि० 10. 4. 87 के अनुसार सम्पूर्ण भूमि नजूल होने के कारण योजना सीधे शासन को दि० 30. 5. 87 को प्रेषित की गयी योजना शासन स्तर पर लम्बित है।
28. हरदोई रोड योजना 3. 46 प्राधिकरण की बैठक दि० 26. 7. 86 में लिये निर्णय के अनुसार 5 एकड़ तक के प्रस्ताव हेतु उपाध्यक्ष महोदय संक्षम है अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार दिनांक 8. 5. 87 को योजना जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी।

- 29- महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग 8.50 पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना  
 प्राधिकरण की बैठक दि019.10.87 में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी जिलाधिकारी ल0 को प्रस्ताव दिनांक 24.4.86 को प्रेषित किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत अनेकों पक्के भवन स्थित हैं। इस योजना में कुल 69 विस्थापित होंगे।
- 30- प्रयागपुर हाउस नं0-1 1.34  
 प्राधिकरण की बैठक दि07.5.86 के लिए किए गए निर्णय के अनुसार गठित उप-समिति के निरीक्षक दिनांक 13.5.86 के उपरान्त योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दि09.5.86 को प्रेषित किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत एक पेट्रोल पम्प एवं दो भवनों के मानचित्र भी स्वीकृति किये जा चुके हैं।
- 31- गहनजफ के आसपास कार्यालय 7.62 एवं व्यवसायिक योजना  
 प्राधिकरण की बैठक दि07.5.86 में लिए गए निर्णय के अनुसार गठित उपसमिति के निरीक्षण के दिनांक 13.5.86 के उपरान्त योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दिनांक 11.4.86 को प्रेषित किया जा चुका है। इस योजना में कुछ अस्थायी निर्माण हैं एवं काफी भूमि रिक्त भी है।
- 32- राधाग्राम आवासीय 551.88 योजना  
 प्राधिकरण की बैठक दि024.9.87 में योजना स्वीकृति की गयी। जिलाधिकारी लखनऊ को योजना दि08.6.88 को प्रेषित की गयी। इस योजना में लगभग 25% भूमि निर्माणों से आच्छादित है शेष भूमि रिक्त है।
- 33- न्यू हैदराबाद स्थित प्लॉट 0.76 नं0440/12वी पर आवासीय योजना  
 प्राधिकरण की बैठक दि07.5.86 के निर्णय के अनुसार गठित उप समिति की बैठक के निरीक्षण दि013.5.86 के उपरान्त योजना स्वीकृति की गयी प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 29.8.85 को प्रेषित किया गया।
- 34- कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6  
 प्राधिकरण की बैठक दि028.3.87 में योजना स्वीकृति की गयी। जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दिनांक 25.6.87 को प्रेषित किया गया। योजना जिला अधिकारी स्तर पर ही लम्बित है।

35- अलीगंज सब्जी मंडी योजना

ल0वि0प्रा0की बैठक दि04.7.79 में योजना स्वीकृत की गयी। जिला-धिकारी द्वारा योजना शासन को 25.4.80 को प्रेषित की गयी। वैकल्पिक व्यवस्था सहित योजना के अन्तर्गत स्थित प्राइमरी स्कूल को न हटाये जाने के कारण शासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकी। एक भवन चित्र भी स्वीकृत किया जा चुका है।

36- जयहिन्द सिनेमा के निकट 1.949  
व्यवसायिक योजना

योजना का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 10.3.87 को प्रेषित किया गया ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 26.7.86 के अनुसार 5 एकड़ से कम भूमि हेतु उपाध्यक्ष महोदय सक्षम है अतः प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया योजना के अन्तर्गत अनेको कच्चे पक्के निर्माण स्थित हैं। जयहिन्द सिनेमा कामर्शियल काम्पलेक्स का भवन चित्र भी स्वीकृति किया जा चुका है।

37- लिबर्टी सिनेमा के निकट 1.04  
व्यवसायिक योजना हेतु  
भूमि का अर्जन

प्राधिकरण की बैठक दि019.10.87 में योजना का प्रस्ताव स्वीकृति किया गया जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दि0 21.1.85 को प्रेषित किया गया योजना के अन्तर्गत कई कच्चे पक्के मकान स्थित हैं योजना के अन्तर्गत दो भवन चित्रों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

38- योजना भवन के सामने 0.49  
स्थित रोड को चौड़ा  
करने के संबंध में ।

प्राधिकरण की बैठक दि07.5.86 में लिए गए निर्णय के अनुसार गठित उप समिति के निरीक्षण दि013.5.86 के उपरान्त योजना स्वीकृति की गयी। प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 11.4.86 को प्रेषित किया जा चुका है योजना के अन्तर्गत भवनों की वाउण्ड्री-वाल स्थित है।

39- मो0गनेशगंज स्थित 4.45  
हाता मातादीन को  
गुरुद्वारा रोड तक बढ़ाकर  
आवासीय योजना

प्राधिकरण की बैठक दि024.11.82 में योजना का प्रस्ताव स्वीकृति किया गया। योजना जिलाधिकारी को दि0 22.3.83 को प्रेषित किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत अनेको कच्चे पक्के मकान स्थित हैं। योजना में कुल 193 विस्थापित होंगे।

40. नूरवाड़ी आवासीय योजना 22.07 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.86 के निर्णयानुसार गठित उप समिति का निरीक्षण नहीं पाने के कारण योजना स्वीकृति न हो सकी। प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 23.4.86 को प्रेषित किया जा चुका है। इस योजना में कई कच्चे पक्के मकान स्थिति हैं एवं रिक्त भूमि भी है। योजना में कुल 26 विस्थापित होंगे।

उपरोक्त विवरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संचालक § अर्जन §

सचिव

उपाध्यक्ष

विषय:- लखनऊ में निर्माणाधीन अतिविशिष्ट अतिथि गृह  
 =====  
 निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।  
 -----

आख्या:- उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वामित्व में बनने वाले अति विशिष्ट अतिथि गृह के निर्माण की अनुमति हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा मानचित्र प्रेषित किये गये हैं । प्रस्तुत निर्माण लखनऊ महायोजनानुसार निर्दिष्ट "बी-1" क्षेत्र में प्रस्तावित है जिसके अनुसार इस क्षेत्र में गर्वन्मेन्ट हाउस एवं तत्सम्बन्धी भावनों के निर्माण का प्राविधान किया गया है । प्रस्तावित निर्माण शासन के अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवास हेतु किया जायेगा । प्रस्ताव महात्मा गांधी मार्ग पर आवास विकास परिषद् एवं गर्वनर हाउस की भूमि के बीच पर प्रस्तावित किया गया है जिसके एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री मार्ग है । प्रस्तुत निर्माण राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वामित्व में उपलब्ध लगभग 4.75 एकड़ है । वर्तमान में प्रस्तावित निर्माण भू-तल पर प्रस्तावनानुसार 1746.96 वर्गमीटर है जिसके अनुसार मुख्य भावन का भू-आच्छादन इस प्रकार के भावनों हेतु अनुमन्य ग्राउण्ड कवरेज से काफी कम है । प्रस्तावित निर्माण को भू-तल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है । मानचित्र भावन निर्माण अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के अनुसार स्वीकृति योग्य है ।

प्रस्ताव:- महायोजनानुसार गर्वन्मेन्ट हाउस हेतु आरक्षित इस क्षेत्र में शासन के ही अति विशिष्ट अतिथि गृह के निर्माण की अनुमति मानचित्र स्वीकृत हेतु वांछित मलवा संयय शुल्क तथा सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु शुल्क लेकर स्वीकृत प्रदान की जा सकती है । अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

रायबरेली रोड योजना में प्राइवेट बिल्डर्स को आवंटित भूमि की दर के संबंध में,

उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.7.88 में विषय संख्या 28 के अन्तर्गत निम्नवत रखा गया था :

दिनांक 18.10.86 में निजी भवन निर्माताओं को राय बरेली रोड योजना में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में निजी भवन निर्माताओं के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें भूमि की दर ₹ 40/= 40 वर्ग मीटर लिये जाने का निर्णय लिया गया था। चूंकि इस समय तक राय बरेली रोड योजना में भूमि की दरों के सम्बन्ध में कोई अभिनिर्णय घोषित नहीं हुआ था, अतः यह सोचा गया कि कानपुर रोड योजना भाग-3 की अपेक्षा रायबरेली रोड योजना § कानपुर रोड योजना-भाग-4 § में अभिनिर्णय अधिक दर से घोषित होगा। तदनुसार भूमि की दर ₹ 40/= प्रति वर्ग मीटर निकाली गई थी\*

2. कानपुर रोड योजना भाग -3 में मे० अंसल को भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें भूमि की दर ₹ 30/= 40 वर्ग मीटर ली गई थी। यह दर कानपुर रोड योजना भाग-3 में घोषित अभिनिर्णय के अनुसार निकाली गई थी तथा इसका अनुमोदन प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 26 जुलाई, 1988 में किया था।

3. कानपुर रोड योजना भाग -4 § रायबरेली रोड योजना § में अभिनिर्णय माह जनवरी, 88 में घोषित किया गया जिसमें प्रतिकर की दर वही रखी गई थी, जो कि कानपुर रोड योजना भाग-3 में निर्धारित की गई थी। इस प्रकार दोनों भागों में प्रतिकर की दर में कोई अन्तर नहीं रखा गया।

4. उपरोक्त के सम्बन्ध में जिन प्राइवेट बिल्डर्स-मे० घुनिटेक लि० तथा मे० एल्लिको को कानपुर रोड योजना भाग-4 § रायबरेली रोड योजना § में भूमि आवंटित की गई है, उन्होंने ₹ 30/= 40 वर्ग मी० की ही दर से भूमि की लागत लेने हेतु अनुरोध किया है। अतः प्रस्ताव किया गया कि चूंकि कानपुर रोड योजना भाग-3 तथा कानपुर रोड योजना भाग-4 § रायबरेली रोड § में घोषित अभिनिर्णय के अनुसार भूमि के प्रतिकर की दर एक समान है। अतः उक्त भाग-4 में आवंटित प्राइवेट बिल्डर्स से भूमि की दर वास्तविक लागत के अनुस्यू दर ₹ 30/= 40 वर्ग मी० की दर से लिये जाने का प्राधिकरण कृपया निर्णय लेना चाहे।

5. प्रस्ताव व इस कारण से अस्वीकृत किया गया कि चूंकि भूमि की लागत और बाह्य विकास शुल्क के रूप में ₹ 100/= 40 वर्ग मी० की सम्मिलित दर घोषित करते हुए बिल्डर्स से आफर माँगने के बाद इस दर के आफर पर दो बिल्डर्स को चयन किया गया एवं शेष रद्द कर दिये गये। इसके बाद अब दर में किसी भी कारण से कमी करना उचित नहीं है।

6. प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के पश्चात् उपरोक्त दोनों बिल्डर्स ने अनुबन्ध तो निष्पादित कर लिया परन्तु उन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया कि उनका विषय प्राधिकरण की बैठक में पुनः निर्णय हेतु रख दिया जाय। तदनुसार पुनः निर्णय प्रस्तुत है।



# विषय सत्या: 1

पृष्ठ सं०: 1

विषय: प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को आर्बिट्रेशन में लाभार्जन न लिये जाने के सम्बन्ध में.

आख्या: वर्तमान में प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को जो भवन आर्बिट्रेशन किये जाते हैं उनमें 5% की दर से लाभार्जन लिया जाता है तथा ई0डब्लू0एस0 के भवनों को छोड़कर सभी प्रकार के भवनों में धनराशि की वसूली 15 वर्षों में की जाती है.

2. गोमती नगर योजना में 100 भवन पत्रकारों को निर्मित कराकर दिये गये हैं. पत्रकारों के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा उनसे लाभार्जन 8 पाँच प्रतिशत नहीं लिया ~~सूत्र~~ गया है.

3. पत्रकारों का उदाहरण देते हुए कर्मचारियों/अधिकारियों ने अपने प्रस्तावेदन दिये हैं कि उनसे भी लाभार्जन न लिया जाये तथा धनराशि की वसूली 15 वर्षों में न करके 20 वर्षों में की जाये.

4. अब तक जितने भवन कर्मचारियों को आर्बिट्रेशन किये गये हैं उनके सम्बन्ध में लाभार्जन की धनराशि उदाहरण स्वरूप निकाली गई है जो लगभग ₹ 1,00,000/- प्रतिवर्ष आती है.

5. कर्मचारियों/अधिकारियों से यदि धनराशि की वसूली 15 वर्षों के स्थान पर 20 वर्षों में की जाती है तो निम्न स्थिति आयेगी:

भवन का प्रकार	भवन का विक्रय मूल्य	त्रैमासिक किश्त 15 वर्षों में वसूली के लिए.	त्रैमासिक किश्त 20 वर्षों में वसूली के लिए.
रत0आई0जा0	63,600/-	2,014/-	1,836/-
रम0आई0जा0	83,100/-	2,775/-	2,555/-
रच0आई0जा0	1,31,600/-	4,629/-	4,300/-

अनुमानित  
with  
Progression  
effect

6. प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को कुछ न कुछ सुविधा अवश्य प्रदान करता है. जैसे- उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद अपने कर्मचारियों को बिजली रियायती दर पर देता है. रेलवे अपने कर्मचारियों को यात्रा की सुविधा रियायती दर पर ~~स्व~~ निःशुल्क देता है. आदि-आदि.

7. उपरोक्त आख्या के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण कृपया अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को लाभार्जन न लिये जाने तथा धनराशि की वसूली 15 वर्षों के स्थान पर 20 वर्षों में लिये जाने हेतु निर्णय लेने का कष्ट करे.

विषय: - गोमतीनगर योजना के विराम खण्ड में 62 एम0आई0जी0 भवनों का कार

टाइम्य आफ इंडिया, लखनऊ शाखा द्वारा विकास प्राधिकरण से

गोमतीनगर योजना के विराम खण्ड के अर्न्तगत 62 एम0आई0जी0 भवनों के लेने के लिये अनुरोध किया था इनके अनुरोध पर विराम खण्ड के अर्न्तगत उक्त भवनों के निर्माण की योजना बनाई गयी है। इन प्रस्तावित भवनों में से 14 भवच 5.00 x 12.50मी0 के भूखण्ड क्षेत्रफल निर्मित किये जाने हैं जिनकी निर्माण लागत ₹0 59,836/= तथा जिनका विक्रय मूल्य विकसित भूखण्ड का विक्रय मूल्य एवं अन्य चार्ज व लाभ शामिल करते हुए लगभग ₹0 82,000/= प्रति भवन अनुमानित है तथा 48 भवन 5.00 x 14.67 मी0 के भूखण्ड क्षेत्र पर निर्मित किये जाने हैं, जिनकी निर्माण लागत ₹0 60,600/= तथा विक्रय मूल्य विकसित भूखण्ड का मूल्य एवं अन्य चार्ज व लाभ शामिल करते हुए लगभग ₹0 95,000/= प्रति भवन अनुमानित है।  
[प्रति संलग्न है।]

इन भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक धन इकट्ठा कराने हेतु हुडको नई दिल्ली से योजना स्वीकृति करानी है हुडको द्वारा इन भवनों के निर्माण हेतु जो धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी उस पर 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा तथा ब्याज की अवधि 15 वर्षों में की जायेगी। ऋण की धनराशि एवं इस पर देय ब्याज भवनों के उपरोक्त विक्रय मूल्य में सम्मिलित है तथा विकसित भूमि की लागत जो विभागीय दर के अनुसार ली गयी है, शामिल है। भवनों के निर्माण पर 5 प्रतिशत लाभों भी लिया जा रहा है एवं विभागीय एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 10 प्रतिशत की दर से लिये जा रहे हैं। इस प्रकार उक्त भवनों के निर्माण हेतु ₹0 56.63 लाख की योजना बनाई गई है जिसमें निर्माण पर होने वाले व्यय हेतु ऋण प्राप्त करना है।

उपरोक्तानुसार भवनों के विक्रय अनुमानित से क्रमशः ₹0 163425/ एवं ₹0 41497/= कुल ₹0 204922/= का लाभ विभाग को होगा। उपरोक्तानुसार भवनों के निर्माण में व्यय की जाने वाली धनराशि हुडको से अन्य योजनाओं की भाँति ऋण के रूप में प्राप्त की जानी है अतएव इसके लिए निम्न बिन्दुओं पर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति आपेक्षित है तथा स्वीकृति उपरान्त ही हुडको ऋण सुलभ करा सकेगा।

1. गोमतीनगर योजना के अर्न्तगत 62 एम0आई0जी0 भवन जिसमें उपरोक्तानुसार दो प्रकार के भवन सम्मिलित है, हुडको की आर्थिक तटायता से वित्तपोषित कराने हेतु शासन से ₹0 33.90 लाख ऋण लेने की शासकीय गारन्टी प्राप्त करने की स्वीकृति।
2. उक्त योजना ₹0 56.63 लाख की स्वीकृति के साथ साथ हुडको नईदिल्ली से निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि को वित्त पोषित करने हेतु ₹0 33.90 लाख के ऋण की स्वीकृति।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
[ कृष्ण कान्त ]

अधिसाती अभियन्ता-2

COSTING OF 48 L.I.G. HOUSES

Plot Area 9.00 X 14.67 = 73.35 Sqmt  
 Plinth Area ( Covered ) = 42.61 Sqmt  
 Cost of Construction Rs. 60,690.00 (As per estimate)

Costing  
-----

1. Cost of Construction		Rs. 60,690.00
2. Administration Charges 10%		Rs. 6,069.00
		<u>Rs. 66,759.00</u>
3. Maintenance Charges 2%		Rs. 1,335.18
		Rs. 68,094.18
4. Profit 5%		Rs. 3,404.70
		<u>Rs. 71,498.88</u>
5. Cost of Land 73.35 Sqmt @ Rs. 300.00 per Sqmt.		Rs. 22,005.00
		<u>Rs. 93,503.88</u>
6. Add Management Charges L.S.		Rs. 1,490.07
		<u>Rs. 94,993.95</u>
	Say	Rs. 95,000.00

COSTING OF 14 L.I.C. HOUSES

Plot Area 5.00 X 12.50 = 62.50 Sqmts

Plinth Area ( Covered) = 37.40 Sqmts

Cost of Construction ( As per estimate) Rs. 52,836.00

Costings:-

1. Cost of Construction		Rs. 52,836.00
2. Administrative Charges 10%		Rs. 5,283.60
		<u>Rs. 58,119.60</u>
3. Maintenance Charges 2%		Rs. 1,162.39
		<u>Rs. 59,281.99</u>
4. Profit 5%		Rs. 2,964.09
		<u>Rs. 62,246.08</u>
5. Cost of Land 62.50 Sqmt		Rs. 18,750.00
@ Rs. 300.00 per Sqmt		<u>Rs. 80,996.08</u>
6. Add Management Charges L.S.		Rs. 1,000.00
		<u>Rs. 81,996.08</u>
	Say	Rs. 82,000.00

विषय: पेपरमिल निशातगंज में दुकानों के भूखण्ड के विक्रय से सम्बन्धित

आख्या: निशातगंज मुख्य सड़क पर कुछ दुकानदारों ने अनाधिकृत रूप से अपनी दुकान बना रखी थी जिनको वर्ष 1982-73 में हटाकर मुख्य मार्ग को साफ किया गया, जिससे कि यातायात में कोई अवरोध न हो। इन इन दुकानदारों को पीछे की ओर दुकानों हेतु 8फुट x 10फुट के एक भूखण्ड आवंटित किये गये, जिस पर वह अस्थायी दुकान का निर्माण करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इन भूखण्डों वाली दुकानों को किराया नगर महापालिका लखनऊ में जमा होतारहा

2. वर्ष 1987 में यह पता चला कि यह भूखण्ड वाली दुकानें नगर महापालिका लखनऊ की न होकर ल०वि०प्रा० <sup>संस्था</sup> की हैं, अतः उसके पश्चात् किराया ल०वि०प्रा० में जमा करने हेतु दुकानदारों को सूचित किया गया।

3. प्राधिकरण ने अपनी बैठक दि० 23.6.83 में लखनऊ नगर में विभिन्न स्थानों पर ल०वि०प्रा० द्वारा निर्मित दुकानों का विक्रय करने का निर्णय <sup>गया</sup> लिया था। इस निर्णय के अनुपालन में विभिन्न स्थानों पर निर्मित दुकानों का विक्रय मूल्य निकाल कर दुकानदारों को सूचित कर दिया गया। तदनुसार पेपरमिल कालोनी में विभिन्न स्थानों पर निर्मित दुकानों को भी विक्रय मूल्य सूचित किया गया था। परन्तु उपरोक्त भूखण्ड वाली दुकानों के दुकानदारों को कोई सूचना नहीं दी गयी। उपरोक्त दुकानदारों ने वर्ष 1987 में उपरोक्त भूखण्डों को क्रय करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

4. दि० 01.5.87 से जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा भूमि की दरें पुनरीक्षित कर दी गयी। दि० 01.5.87 से पूर्व निशातगंज क्षेत्र में आवासीय भूमि की दर रु० 27/- प्रति वर्ग फुट थी। चूंकि व्यवसायिक दर आवासीय दर की दुगुनी मानी जाती है अतः दि० 01.5.87 को जितनी दुकानों का विक्रय मूल्य निकाला गया उनमें भूमि की दर व्यवसायिक होने के कारण रु० 54/- प्रति वर्ग फुट लगायी गयी थी।

5. उपरोक्त भूखण्डों वाली दुकानों का विक्रय मूल्य दि० 01.5.87 के पश्चात् निकाला गया। अतः भूमि की दर जो दि० 01.5.87 से जिलाधिकारी द्वारा आवासीय दर रु० 54/- प्रति वर्ग फुट कर दी गयी और व्यवसायिक होने के कारण दुगुनी दर रु० 108/- प्रति वर्ग फुट आयी और उसमें भी 10% अतिरिक्त 30फुट रोड पर दुकानें होने के कारण लगाया गया, जिसके कारण

मि.क

श्री 3/5/87

क्रमशः.....2

व्यवसायिक भूमि की दर ₹0118.80 प्रति वर्ग फुट हो गयी । फलस्वस्व दि01.5.87 से पूर्व निकाले गये विक्रय मूल्य में भूमि की दर ₹054/- प्रति वर्ग फुट तथा दि01.5.87 के पश्चात् निकाली गयी भूमि की दर ₹0118.80 प्रति वर्ग फुट, जिलाधिकारी द्वारा दर दि01.5.87 से पुनरीक्षित होने/कारण, भिन्नता आ गयी । उपरोक्त दुकानों के दुकानदारों ने इस पर अपना प्रत्यावेदन दिया और उन्होंने अनुरोध किया है कि उनसे भी भूमि की दर पूर्व की भांति ही अर्थात् दि01.5.87 से पूर्व प्रचलित दर के हिसाब से विक्रय मूल्य लगाकर लिया जाय ।

प्रस्ताव

चूंकि एक ही स्थान पर भूमि की दरों में परिवर्तन होने/कारण विक्रय मूल्य में परिवर्तन आ रहा है । अतः कृपया प्राधिकरण दि01.5.87 से पूर्व निर्धारित भूमि की दर के अनुसार ही विक्रय मूल्य इन दुकानदारों से लेने हेतु निर्णय लेने का कष्ट करें ।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
6.1.88

विषय: डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा, संचालक {अर्जन} का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा के सेवाओं से लाभान्वित होने के लिये शासन से पत्र संख्या: 995/सचिव, वि0प्र0, दिनांक 17-7-87 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या: 2492/11-4-डी.ए./87 दिनांक 12-8-87 द्वारा डा. वर्मा को रु. 2000/- प्रतिमाह की दर से कान्ट्रैक्ट बेसिस पर तीन माह के लिये नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी। शासन के उपरोक्त आदेशों के क्रम में डा0 वर्मा ने दिनांक 12-8-1987 से विकास प्राधिकरण में योगदान कर लिया था। इसके बाद डा0 वर्मा के भूमि अर्जन कार्य के सम्बन्ध में अनुभव, कुशलता व परिश्रम को दृष्टिगत रखते हुए विषय प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष बैठक दिनांक 19-10-87 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नांकित निर्णय लिया गया:- " विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा का कार्यकाल शासनादेश में वर्णित शर्तों के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाये। "

उपरोक्त निर्णयानुसार डा0 वर्मा, संचालक {अर्जन} के पद पर कार्यरत हैं। यह अवधि दिनांक 18-10-1988 को समाप्त होने वाली थी परन्तु बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7-7-88 के प्रस्ताव संख्या: 5 द्वारा यह अवधि पूर्व शर्तों पर अग्रिम एक वर्ष के लिये बढ़ा दी गई। सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन के अ0शा0प0स0: 1395/11-4-डी0ए0/88 {सेलमन} द्वारा निर्देश दिया गया है कि श्री वर्मा का पूर्व सेवा अभिलेख अच्छा नहीं रहा है। इनके विरुद्ध पूर्व में सर्तकता जांच आरम्भ की गई थी और वे लगभग 6 वर्ष तक निलम्बित भी रहे हैं। उक्त स्थिति में डा0 वर्मा को प्राधिकरण की सेवा में और अधिक दिनों तक रक्खा जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। अतः डा0 वर्मा को तुरन्त प्राधिकरण सेवा से हटा दिया जाये।

अतः शासन के उपरोक्त अ0शा0प0स0 {प्रतिनिधी सलमन} में अंकित निर्देशों के सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ विषय प्रस्तुत है।

किसी ज.स. को जारी अर्जन का दिनांक  
 आदि, 2-8-87 31/3/89 तक मिलाए जाये  
 के रूप में पत्र (291) जाये  
 तब तक नियुक्ति के लिए शासन  
 को लिखा जाये  
 शासन को जवाब में  
 जाये

विषय:-

=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में कानपुर रोड योजना के सेक्टर "जी", "एच" एवं "एफ" में विकसित होने वाले साइट एण्ड सर्विसेज के भूखण्डों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव :-

शासन के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिये तथा उन लोगों के लिये जो विस्थापित किये जाने हैं, के लिये कानपुर रोड योजना के सेक्टर "एच" में 2277 सेक्टर "जी" में 967 एवं सेक्टर "एफ" में 634 साइट एण्ड सर्विसेज के भूखण्डों को विकसित किया जाना है। भूखण्डों की साइज निम्न है :-

$$3 \text{ मीटर} \times 9 \text{ मीटर} = 27 \text{ वर्गमीटर}$$

$$3 \text{ मीटर} \times 12 \text{ मीटर} = 36 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$3.5 \text{ मीटर} \times 10.5 \text{ मीटर} = 36.75 \text{ वर्ग मीटर}$$

विकास व्यय 150/- प्रति वर्ग मीटर की दर से लिये जाने का प्राविधान है।

विकास व्यय में 9 मीटर चौड़ी, सड़क एवं 6 मीटर, 4.5 मीटर एवं 2 मीटर चौड़े खड्ग का विकास व्यय सम्मिलित है। के0सी0 ड्रेन, जल आपूर्ति के लिये इन्डिया मार्बल- 2 के हैण्ड पम्प तथा सीवरेज के स्थान पर सुलभ शौचालय का निर्माण प्रस्तावित है।

स्ट्रीट लाइट का भी प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार साइट एण्ड सर्विसेज के भूखण्ड के विकास में 92.00% व्यय किये जाने वाली धनराशि हडको से अन्य योजनाओं की भाँति अर्ण लेने के लिये विचारार्थ प्रस्तुत है।

काओरिा

सत0सी0 गुप्ता

मुठय अभियन्ता

26/x

विषय: स्कूल भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित

आख्या: प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.7.86 में स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में विषय रखा गया था, जिसमें निम्न निर्णय लिया गया था:-

I. स्कूल भूखण्डों के मूल्य आवंटन के समय जो <sup>मौजूदा</sup> आवंतीय दर होगी उसकी आधी लीज जाय ।

II. आवंटन हेतु निम्न उप समिति का गठन किया गया:-

क: उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० - अध्यक्ष समिति

ख: डा०बी०एन०खन्ना - सदस्य समिति

ग: श्रीमती उमा त्रिपाठी - सदस्या समिति

घ: जिला विद्यालय निरीक्षक-  
लखनऊ - सदस्य समिति

ङ: जिला वैसिक शिक्षा  
अधिकारी - सदस्य समिति

च: सचिव, ल०वि०प्रा० - सदस्य समिति

छ: का०एस्का०एवं-इको०प्ला०,  
ल०वि०प्रा० - सदस्य समिति

III. भूखण्डों की कीमत के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया:-

क: कुल मूल्य का 25% आवंटन के बाद तथा अनुबंध कराने के पहले या 90 दिनों के अन्दर जो भी कम हो ।

ख: शेष 75%, 5 सालाना किश्तों में भूखण्ड के वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जो एकमुश्त धनराशि जमा करेंगे, उनको संपूर्ण

धनराशि पर 5% रिबेट दिया जायेगा, जो भूमि की पूरी कीमत का 10% होगा ।

स्कूल भूखण्डों के धारकों के लिए आवश्यक होगा कि वह अनुबंध कराने के दो वर्ष के अन्दर स्कूल चलाने का कार्य प्रारम्भ कर दें, अन्यथा उनका आवंटन उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि की 20% कटौती करके शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी ।


2. दर के सम्बन्ध में बाट में एक भासनादेश प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार निम्न दरें निर्धारित की गयी:-

क: ₹ 2000 वर्ग मी० तक - आवंटन के समय प्रचलित दर की 50%

ए. ए. ए. के. 2  
प्रा. आ. वि. 1/1

ख:	2000वर्ग मी० से अधिक परन्तु 4000वर्ग मी० तक	-	आवंटन के समय प्रचलित दर का 40%
ग:	4000वर्ग मी० से अधिक परन्तु 6000वर्ग मी० तक	-	आवंटन के समय प्रचलित दर का 30%
घ:	6000वर्ग मी० से अधिक	-	आवंटन के समय प्रचलित दर का 15%

3. दि० 26.10.88 को उपरोक्त उप समिति की बैठक हुई, जिसमें कतिपय स्कूलों को स्कूल भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। उक्त समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिस स्कूल को स्कूल भूखण्ड हेतु भूमि आवंटित की जाय, वह स्कूल प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों की फीस में कम से कम 50% रियायत करें एवं प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक वर्ष होने वाले नये दाखिलों में 5% अरक्षण ल० वि० प्रा० के कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों हेतु रखा जाय। प्राधिकरण कृपया इस सम्बन्ध में समिति का प्रस्ताव अनुमोदित करने का कष्ट करें।

  
26/10/88



- निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि महायोजना में कृषि क्षेत्र हेतु आरक्षित प्रसंगित भूखण्ड का भू-उपयोग कृषि क्षेत्र से क्षेत्रीय कार्यालय हेतु इस शर्त के साथ परिवर्तित किया जाये कि जब तक उक्त संस्थान कार्य करता रहेगा तभी तक के लिए कार्यालय उपयोग मान्य रहेगा तदुपरान्त संस्थान उक्त भूखण्ड प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर देगा। तदनुसार शासन को महायोजना प्रेषित करने से पूर्व उसमें संशोधन कर दिया जाये।
- विषय संख्या: 10 भूखण्ड संख्या : 424 टी0जी0 न्यु सिविल लाइन पर बहुखण्डीय भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि नजूल भूखण्डों के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में अंकित शर्तों को ट्रस्ट लैन्ड पर लागू करने के लिए परीक्षण हेतु एक उपसमिति गठित की जाती है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:—
1. डा0 वी0एन0 खन्ना, सदस्य
  2. श्रीमती उमा त्रिपाठी, सदस्या
  3. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण
  4. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण संयोजक
- विषय संख्या: 11 मेसर्स मोटर सेल्स लि0, 11-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ द्वारा अपने वर्तमान भवन में परिवर्तन हेतु दिये गये मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या: 12 बारूद खाना में बट्टी नाथ रोड स्थित श्री सुनीत माथुर को आवंटित नजूल भूमि संख्या : 69 का भू-उपयोग परिवर्तन।
- निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या: 13 केन्द्रीय संस्कृत विद्या पीठ को आवंटित भूमि का टोकेन लीज़ रेन्ड लिये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचारोपरान्त केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को गोमती नगर योजना में आवंटित भूमि का टोकेन लीज़रेन्ट अर्थात् रू0 1 /- प्रति वर्ष लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या: 14 गोमती नगर योजनान्तर्गत मेसर्स इन्डियन होटल्स लि०  
§ताज ग्रुप § को होटल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने  
के सम्बन्ध में।

निर्णय : विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया  
गया कि मेसर्स इन्डिय होटल्स प्रा० लि० के प्रतिनिधि  
को आगामी बैठक में उपस्थित होने के लिये लिख दिया  
जाये तथा यह विषय आगामी बैठक हेतु स्थगित किया  
जाता है।

विषय संख्या: 15 भूखण्ड संख्या: "बी" /973, सी महानगर योजना के  
के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूरे क्षेत्र के  
ज़ोनल प्लान को संशोधित करने का प्रस्ताव लाया जाये।

विषय संख्या: 16 अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की  
अर्जित भूमि के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मामले में  
एक उप-समिति गठित की जाती है जिसमें निम्नांकित  
सदस्य होंगे:—

- 1, डा० वी०एन० खन्ना, सदस्य
2. श्रीमती उमा त्रिपाठी, सदस्या
3. डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा, सलाहकार §अर्जन§

उक्त उपसमिति के संयोजक सचिव, लखनऊ विकास  
प्राधिकरण होंगे। उपसमिति इसमें छान-बीन करके  
अपनी रिपोर्ट देगी जो बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

विषय संख्या: 17 लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ  
पूर्वानुमोदित एवं लम्बित योजना का विवरण।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में  
निम्नांकित सदस्यों की एक उप-समिति गठित की जाती  
है जो पुरानी योजनाओं का विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट  
देगी जो बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

1. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
2. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
3. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण
4. डा० वी०एन० खन्ना, सदस्य
5. श्रीमती उमा त्रिपाठी, सदस्या
6. सलाहकार §अर्जन § इस समिति के संयोजक होंगे।

- विषय संख्या: 18 लखानऊ में निर्माणाधीन अतिथि गृह निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव यथा- प्रस्तावित अनुमोदित किया गया ।
- विषय संख्या: 19 रायबरेली रोड पर यूनीटेक लि० को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
- अनुपूरक विषय संख्या: 1 प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को आवन्तित भावनों में लाभोत्ता न लिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस निर्णय की तिथि के बाद होने वाले आवन्तन पर ही यह लागू होगा ।
- अनुपूरक विषय संख्या: 2 गोमती नगर योजना के विराम खाण्ड में 62 सम०आई०जी० भावनों का निर्माण ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- अनुपूरक विषय संख्या: 3 पेपर मिल ४ निशातगंज ४ में दुकानों के भूखाण्ड बिक्रय के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।
- अनुपूरक विषय संख्या: 4 डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा, संचालक ४ अर्जन ४ का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के किसी संयुक्त सचिव को प्रभारी ४ अर्जन ४ बना दिया जाये तथा डा० वर्मा को 31. 3. 1989 तक सलाहकार के रूप में बनाये रखा जाये । तबतक किसी डिप्टीकलेक्टर की नियुक्ति के लिये शासन को लिखा दिया जाये ।
- अनुपूरक विषय संख्या: 5 कानपुर रोड योजना के सेक्टर "जी", "एच" एवं "एफ" में विकसित होने वाले साइट सेण्ड सर्चिसेज के भूखाण्डों की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

अनुपूरक विषय संख्या: 6      स्कूल भूखण्डों के आवन्टन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

निर्णय :      विचारोपरान्त इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि प्रस्तावित शर्तों में यह शर्त भी रहेगी कि प्रत्येक कक्षा में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के एक या दो बच्चों के प्रवेश हेतु स्थान आरक्षित रखा जायेगा ।

अध्यक्षा महोदय की अनुमति से डा० वी०एन०खान्ना, सदस्य द्वारा प्रस्तुत विषय :

विषय संख्या: 1      सिविल अस्पताल के सामने दो भावनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय :      विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्षा/सचिव द्वारा स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये । साथ ही पार्क रोड में निर्माणाधीन भावनों के बारे में भी आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या: 2      अलीगंज हनुमान मन्दिर के सौन्दरीकरण के सम्बन्ध में ।

निर्णय :      विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि जामा मस्जिद के सामने सौन्दरीकरण का प्रस्ताव प्राधिकरण में कब पारित हुआ था, उक्त प्रस्ताव के साथ आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

EO/- अरुण मिश्र  
॥ अरुण मिश्र ॥  
उपाध्यक्षा

EO/- दिवाकर त्रिपाठी  
॥ दिवाकर त्रिपाठी ॥  
सचिव

अनुमोदित  
=====

EO/- मोहिन्दर सिंह  
॥ मोहिन्दर सिंह ॥  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं  
अध्यक्षा  
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ